ईकाई – 3

भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप व कार्यप्रणाली

3.0 ईकाई परिचय

लोकतन्त्र चाहे उसमें सरकार का स्वरूप कोई भी हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है, इसीलिए इन्हें 'लोकतन्त्र के प्राण' कहा गया है। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की प्रतिनिधिमूलक सरकार का सार यही है कि सरकार और संसद दोनों पर दल का प्रतिबन्ध रहता है। विधानमण्डल और कार्यपालिका, सरकार और संसद संवैधानिक आवरण है। यथार्थ शक्ति का उपयोग तो राजनीतिक दल ही करते है। दल–प्रणाली के बिना लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली कार्य ही नहीं कर सकती। शासन का चाहे संसदीय रूप हो या अध्यक्षात्मक, दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असम्भव है। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते है, किन्तु जब तक उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध ना किया जाए तब तक शासन निष्क्रिय ही बना रहता है। अतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते है।

राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की भीड़ के स्थान पर व्यवस्था का निर्माण करते है, जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते है और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन शक्ति प्रदान करते है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनमत का बहुत अधिक महत्त्व होता है। राजनीतिक दल स्वस्थ जनमत का निर्माण भी करते है।

इसी तरह से राजनैतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों का अत्याधिक महत्त्व है। ये राजनीतिक संगठन तो नहीं होते। लेकिन सरकार और राजनीतिक दलों पर इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है। विभिन्न व्यवसायों के हितों को पूरा करने के लिए दबाव समूह बनते है, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो एक बड़ा जनसंख्या का समूह इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अतः कृषक आन्दोलनों का भी सरकार की नीति–निर्माण पर

काफी प्रभाव देखने को मिलता है। विभिन्न दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और हितों को पूरा करने में मीडिया की भी काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लोगों और सरकारों के बीच सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य मीडिया बखूबी करता है।

3.1 उद्देश्य

- लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्त्व
- राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन
- लोकतान्त्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों की उपयोगिता का मूल्यांकन
- जनमत का क्या महत्त्व है तथा उसके निर्माण में सहायक तत्त्व कौन–कौन से है
- भारतीय राजनीति में कृषक आन्दोलनों की भूमिका
- भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका

3.2 भारतीय राजनीतिक दल (Political Parties)

3.2.1 परिचय

भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है, जिसमें राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक हैं। लोकतंत्र तथा राजनैतिक दलों में इतना गहरा सम्बन्ध है कि इस के बिना दूसरे की उन्नति असंभव है। राजनैतिक दल ही देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनमत तैयार करते हैं। लोगों को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा स्थायी सरकार की स्थापना करते हैं वे चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करके सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। चुनावों में जिस राजनैतिक दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो जाता है। वह दल सरकार का गठन करता है। अन्य राजनैतिक दल विरोधी दल का निर्वाह करते हैं और सरकार को स्वेच्छाचारी बनने से रोकते हैं तथा उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं।

3.2.2 उद्देश्य

- राजनैतिक दलों के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान
- भारत में राजनैतिक दलों का जन्म कैसे हुआ या उसका विकास
- भारत की दलीय व्यवस्था की प्रकृति व स्वरूप को जानना
- भारतीय दलीय व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उपायों को जानना
- विभिन्न राजनैतिक दलों की सफलताओं व असफलताओं का मूल्यांकन करना

3.2.3 भारतीय राजनैतिक दलों का विकास

भारत में राजनीतिक दलों के विकास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है –

1. स्वतंत्रता से पूर्व राजनैतिक दलों का विकास
2. स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक राजनैतिक दलों का विकास

भारत में राजनैतिक दलों का विकास ब्रिटिश शासन के विरूद्ध स्वतंत्रता आन्दोलन के रूप में आरम्भ हुआ था। 19वीं शताब्दी के 'पूना सार्वजनिक सभा' मद्रास में 'महाजन सभा' तथा कलकत्ता में भारतीय एसोसिएशन तथा मुंबई प्रैजीडेंसी एसोसिएशन जैसे संगठनों की स्थापना हुई। परन्तु भारत के सबसे पहले राजनीतिक दल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और धीरे–धीरे करके सभी वर्गो के लोग इसमें शामिल होने लगे।

ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए सन् 1906 में 'मुस्लिम लीग' (Muslim Leagee) की स्थापना करवाने में सहयोग दिया। इसके विरोध में हिंदुओं ने अपने को संगठित करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सन् 1916 में हिन्दू महासभा (Hindu Maha Sabha) की स्थापना की। सन् 1924 में भारत में साम्यवादी दल (Communist Party) की स्थापना हुई। सन् 1934 में कांग्रेस के भीतर ही जवाहरलाल नेहरू तथा कुछ अन्य नेताओं ने मिलकर 'समाजवादी दल' की स्थापना की। सन् 1938 में सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर अपने अलग दल 'फारवर्ड ब्लाक' (Farward Block) की स्थापना की।

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक राजनीतिक दलों का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में मुख्य रूप से दो राजनैतिक दल मौजूद थे – कांग्रेस तथा साम्यवादी दल। सन् 1948 में राम राज्य परिषद् की स्थापना हुई और उसके बाद सन् 1949 में तमिलनाडु में डी०एम०के० (D.M.K.) की स्थापना हुई। सन् 1951 में डॉ० श्यामप्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में भारतीय जन संघ (Bhartiya Jan Sangh) की स्थापना हुई। सन् 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो उस समय 14 दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर तथा 51 दलों ने क्षेत्रीय (राज्य) स्तर पर इनमें भाग लिया।

सन् 1959 में स्वतंत्र पार्टी (Swatantra Party) का जन्म हुआ जिसे 1962 में राष्ट्रीय राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, सन् 1962 तथा 1967 के बीच भारत में अनेक दल विकसित हुए।

सन् 1969 में कांग्रेस के फूट पड़ गई और वह दो इंदिरा कांग्रेस तथा संगठन कांग्रेस में बंट गई। सन् 1974 में भारतीय लोकदल की स्थापना हुई। जिसमें भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र दल, उत्कल कांग्रेस तथा मजदूर दल आदि शामिल हो गए।

सन् 1977 में संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल तथा समाजवादी दल ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया जनता पार्टी लगभग दो वर्ष ही केन्द्र में सत्ता में रह पाई और इस दल में फूट पड़ गई। वह पुनः चार दलों जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल तथा जनता (एस) के विभाजित हो गई। सन् 1989 में हुए लोकसभा के चुनाव के समय 'जनता दल' का गठन किया गया। यद्यपि चुनावों में इस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी तथा साम्यवादी दलों की सहायता से दल ने 2 दिसम्बर 1989 को सरकार की स्थापना की।

16 अप्रैल 1991 को चुनाव आयोग ने कुल 9 राष्ट्रीय दलों को मान्यता दी थी। 22 फरवरी, 1992 को चुनाव आयोग ने कांग्रेस (एस) लोकदल और जनता दल (समाजवादी) को राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के रूप में मान्यता समाप्त कर दी थी। 1996 में हुए लोकसभा चुनावों के समय चुनाव आयोग द्वारा 8 राष्ट्रीय दलों तथा 39 क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई। सन् 1998 में हुए लोकसभा चुनावों के समय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय दल थे। 1 जनवरी 2002 को 7 दलों को राष्ट्रीय के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। 2004 में पाँच, 2009 में 7, 2014 में छः, 2019 में 8 दल है।

भारतीय दलीय व्यवस्था में तीन अवसर ऐसे आए है, जब इसमें मूलभूत परिवर्तन घटित हुए। उदाहरणतः 1977 में विरोधी दलों द्वारा संचालित जनता सरकार का केन्द्र में सत्ता रूढ़ होना। इससे पहले 1967 में लगभग 8 राज्यों में (हरियाणा सहित) पहली बार विरोधी दलों ने अपनी सरकारें बनाई जो कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार को एक गहरा झटका माना गया। 1989 में भी एक बार विरोधी दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार स्थापित की। 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला लेकिन सबसे बड़ा दल होने के कारण इसको सरकार बनाने का अवसर मिला। 1996 में हुए चुनावों में इसे हार का सामना करना पड़ा। 1998 में हुए

चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबन्धन की सरकार बनाई। 1999 में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। 2004 और 2009 के चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी। 2014 व 2019 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार एकल दल अधिपत्य टूट गया तथा बहुल दलीय व्यवस्था का पर्दापण हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय दल व्यवस्था की विशेषताएं निम्न है –

1. **बहुदलीय पद्धति :** भारत में ब्रिटेन अथवा अमरीका की तरह द्वि दल–पद्धति नहीं, वरन् बहुदलीय पद्धति है। चुनाव आयोग के अनुसार जनवरी 1998 में देश में सात राष्ट्रीय दलों सहित 654 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से 35 पार्टियां राज्य स्तर की हैं और 612 पंजीकृत गैर–मान्यता प्राप्त दल थे। 2018 में 7 राष्ट्रीय दल व 57 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल तथा 2044 पंजीकृत गैर–मान्यता प्राप्त दल थे।
2. **व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित :** भारत में दल व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित है। 1951 से 1964 तक कांग्रेस में जवाहर लाल नेहरू की प्रधानता रही। 1970–76 और 1980–84 में इंदिरा गाँधी का व्यक्तित्व पार्टी पर छाया रहा। 1984 के बाद राजीव गांधी का प्रभाव रहा। 1991 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। उधर विरोधी दल कांग्रेस में सोनिया गांधी का प्रभाव था और 2014 के बाद नरेन्द्र मोदी के बलबूते पर बीजेपी सत्ता में लगातार बनी हुई था और 2014 के बाद नरेन्द्र मोदी के बलबूते पर बीजेपी सत्ता में लगातार बनी हुई है।
3. **राजनैतिक दलों में निरन्तर विभाजन एवं विघटन की प्रवृति :** अब तक कांग्रेस पार्टी के तीन बार विभाजित हो चुकी है। 1969 के बाद 1978 और 1995 में कांग्रेस में विघटन हुआ। 1977 में गठित जनता पार्टी में विभाजन हुआ जनता दल का विभाजन सबसे अधिक और अतिशीघ्रता में हुआ। अन्य प्रमुख दलों में भी विघटन हुआ है।
4. **अवसरवादिता की उभरती प्रवृति :** भारतीय राजनीति में अवसरवादिता सदैव से विद्यमान रही है और अभी हाल ही के वर्षो में यह निरन्तर उग्र रूप ग्रहण कर

रही है। रजनी कोठारी के अनुसार, ''व्यक्ति का महत्व अभी भी राजनीति में बहुत है। भारत में एक ही संगठन के अभिन्न अंग अलग–अलग काम करते है। एक ही दल के राष्ट्रीय और राज्य शाखाएं प्रतिकूल दिशाओं में चलती हैं और ऐसे गुटों व तत्वों से हाथ मिलाती है जो विचारधारा और नीति में उनसे भिन्न है। जनवरी 1980 के केरल विधानसभा चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस और जनता पार्टी के परस्पर सहयोग करते हुए एक ही फ्रण्ट के अन्तर्गत चुनाव लड़ा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। इस प्रकार की अवसरवादिता के अन्य अनेक उदाहरण उपलब्ध है।

5. **राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव :** भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है और इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार के विचार भेद के अभाव का एक कारण यह है कि आज भारत के राजनीतिक रंगमंच पर जितने भी पात्र दृष्टिगोचर हैं, उन सबको राजनीतिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय आन्दोलन में ही प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका दूसरा और अधिक प्रमुख कारण यह है कि स्वयं राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम अत्याधिक अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य लगभग एक दर्जन छोटे–बड़े राजनीतिक दल भी समाजवाद को ही अपना लक्ष्य घोषित किये हुए हैं। अनेक राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा विध्वंसकारी कार्यो का आश्रय लिया जाता है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता हैं।

6. **साम्प्रदायिक और क्षेत्रिय दल :** भारत में अनेक राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर गठित हैं। ऐसे दलों में अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम (Anna D.M.K.), द्रविड मुनेत्र कड़गम (D.M.K.), अकाली दल, हिन्दू महासभा, नेशनल कांफ्रेंस, असम गण परिषद्, सिक्किम संगण परिषद् और अन्य अनेक दलों का नाम लिया जा सकता है। लोकसभा चुनावों में तो ये साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति तथा प्रभाव का सीमित परिचय ही दे

पाते है, लेकिन विधानसभा चुनावों में अपनी शक्ति का परिचय देने में सफल रहते हैं। शिव सेना ने भी अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की जो एक साम्प्रदायिक दल तथा क्षेत्रीय दल है।

7. **राजनीतिक दलों की आन्तरिक गुटबन्दी :** भारत की दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न दलों की आन्तरिक गुटबन्दी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे–छोटे गुट पाये जाते हैं, एक वह गुट जो सत्ता में है और दूसरा असन्तुष्ट गुट। इन गुटों में पारम्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी–कभी निर्वाचन में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं।

8. **राजनीतिक दल–बदल :** भारत में दल–बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है, लेकिन 1967 से 1970 के वर्षों में यह प्रवृति बहुत अधिक भीषण रूप में देखी गयी। 1971 और 1972 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बाद दल –बदल की लगभग समाप्ति की आशा की गयी थी और जनता में यही आशा मार्च 1977 तथा जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों के बाद जगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दल–बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है और इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का ही कार्य किया हैं।

9. **निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी :** 1952 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय सदस्यों की संख्या 849 थी जो 1996 में बढ़कर 10535 हो गई। परन्तु 1998–99 में चुनाव सुधार के सम्भवतः प्रावधानों के कारण इस समस्या में भारी कमी आई और ये केवल 1915 ही रह गए। 1999 के लोकसभा चुनाव में 6 तथा 2009 के लोकसभा चुनावों में 9 निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाए। 2014 में 3234 सदस्यों ने चुनाव लड़ा मात्र 3 सदस्य ही जीत पाए।

10. **राजनीतिक दलों का ढीला–ढाला संगठन :** भारत में अधिकांश दलों का संगठन बहुत ढीला ढाला है तथा सदस्यों में अनुशासन का अभाव है। अधिकतर दलीय नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दलीय अनुशासन की परवाह नहीं करते।

यदि दल के सदस्य की चुनाव का टिकट नहीं मिलता, तो वह दल से त्यागपत्र देकर दल के उम्मीदवार के ही विरूद्ध चुनाव में खड़ा हो जाता है। कई बार तो ऐसे सदस्य अपना अलग दल भी बना लेते हैं।

11. **राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव :** भारतीय राजनीतिक दलों की एक ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजनीतिक दलों का आतंरिक ढांचा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा मूल्यों पर आधारित नहीं है। राजनीतिक दलों के अपने संगठनात्मक चुनाव वर्षों तक नहीं होते। अप्रैल 1992 में 22 वर्षों के बाद कांग्रेस (आई) के संगठनात्मक चुनाव हुए हैं। संगठनात्मक चुनाव न होने से प्रायः सभी दलों में आतंरिक प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो पाती, तब तक राष्ट्र की राजनीति में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा मूल्यों की स्थापना होना असंभव हैं।

भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण (Classification of Indian Political Parties)

भारतीय राजनीतिक दलों को चार भागों में बांटा जा सकता है :

1. राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल
2. क्षेत्रीय अथवा राज्यस्तरीय दल
3. स्थानीय, किन्तु जातीय साम्प्रदायिक दल और
4. तदर्थ दल

1. राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के मान्यता सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के लिए 1968 के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश में संशोधन करते हुए। दिसम्बर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। नए नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव अथवा विधान सभा चुनावों के हिन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों के कुल डाले गए वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त करने के साथ ही किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होगी अथवा लोकसभा में उसे कम से कम 2 प्रतिशत सीटें (मौजूदा 543 सीटों में कम से कम 1 सीटें) जितनी होगी जो कम से कम तीन राज्यों से हासिल की गई हो। ऐसे दल दो प्रकार के हैं – बिना विचारधारा के और

विचारधारा पर आधारित वाले दलों में कांग्रेस को लिया जा सकता है। विचारधारा से अभिप्रायः है किसी विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक दर्शन में विश्वास और प्रतिबद्धता व्यक्त करना कांग्रेस को वैचारिक दृष्टि से तटस्थ दल कहा जा सकता है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें अनेक विचारधारा और हितों के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसे दल के बजाय एक सार्वजनिक मंच (प्लेटफार्म) कहा जा सकता है।

विचारधारा में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय दलों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। दक्षिण पन्थी और वामपन्थी। दक्षिणपन्थी दल जहाँ यथास्थिति को बनाये रखना चाहते हैं वहाँ वामपन्थी दल आर्थिक और सामाजिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। स्वतंत्र दल, जनसंघ और भारतीय लोकदल को दक्षिणपंथी दल कहा जाता था क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनके दृष्टिकोण ब्रिटिश अनुदारवादी दल से मिलते जुलते हैं। वामपन्थी दल भी दो प्रकार के हैं – उदार और उग्र। उदार दलों में सभी समाजवादी दलों को लिया जा सकता है तथा उग्र दलों में सभी प्रकार के साम्यवादी दलों को स्थान दिया जा सकता हैं। उदारवादी दल, गांधीवाद, मार्क्सवाद और फेबियनवादी सिद्धान्तों में विश्वास करते है जबकि साम्यवादी दल क्रान्तिकारी साधनों में विश्वास करते है, समस्त प्रकार के अखिल भारतीय दलों का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है उनकी सदस्यता सभी धर्मो और जातियों के लिए खुली है।

2. क्षेत्रीय अथवा राज्यस्तरीय दल

ये वे दल हैं जिनका प्रभाव राज्य की सीमा तक ही है। इसमें तेनगू देशम्, शिव सेना, डी०एम०के०, अन्ना डी०एम०के०, असम गण परिषद्, सिक्किम संग्राम परिषद्, समाजवादी पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी आदि प्रमुख है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, सिक्किम आदि राज्यों में ये दल प्रभावशाली हैं।

3. स्थानीय किन्तु जातीय साम्प्रदायिक दल

ये दल विशेष जाति या सम्प्रदाय तक ही सीमित हैं केरल की मुस्लिम लीग, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, पंजाब का अकाली दल आदि पार्टी ऐसे ही दल हैं।

4. तदर्थ दल

भारत में ऐसे भी दल है जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। इन्हें छोटे–छोटे गुट कहा जा सकता है। ऐसे दलों में कांग्रेस (तिवारी) केरल, कांग्रेस बंगला कांग्रेस, रामराज्य परिषद आदि को याद किया जा सकता है। ऐसे दल कब बनते है और कब अस्त हो जाते है इसका पता लगाना कठिन है। ये विभिन्न दलों से निकले असन्तुष्ट नेताओं द्वारा निर्मित गुट है।

प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके कार्यक्रम

(Major Matinal Parties and their Programmes)

2019 में निम्नलिखित 8 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है –

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाजपार्टी।

इनमें से हम कुछ पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय दलों की विचारधारा, कार्यक्रम, संगठन एवं भूमिका का वर्णन करेंगे।

कांग्रेस पार्टी : कांग्रेस (आई) (Congress Party : Congress [I])

कांग्रेस की स्थापना सन् 1885 में हुई। 1907 तक कांग्रेस का लक्ष्य विदेशी शासन पर दबाव डालना मात्र था। 1907 से 1919 तक कांग्रेस उदारवादियों और उग्रवादियों में विभक्त रही। सन् 1920 से 1947 तक कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त कांग्रेस एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गयी तथा केन्द्र और राज्यों के निर्वाचनों में प्रचण्ड बहुमत प्राप्त कर सत्ता का उपयोग करने लगी सन् 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति दुर्बल हुई। सन् 1969 में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गयी तथा 1971 एवं 1972 के चुनावों में कांग्रेस का पुनः प्रचण्ड विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती है ? इस प्रश्न का जवाब 15 सितम्बर, 1931 में ही महात्मा गांधी ने लन्दन में 'फेडरल स्ट्रक्च कमेटी' में भाषण के दौरान किया था, कांग्रेस मूलतः भारत में 7 लाख गांवों में बसे मूक, अद्यभूत करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है – चाहे वे

तथाकथित ब्रिटिश भारत पर भारतीय भारत के हो। कांग्रेस यह मानती है कि उन्हीं हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए जो इन करोड़ों मूक लोगों के हितों का साधन करते हैं।'' उन ऐतिहासिक दिनों से लेकर आज तक करोड़ो मूक लोगों तथा राष्ट्रीय हितों और दूसरी और कुछ वर्गीय हितों में संघर्ष छिड़ा कांग्रेस अपनी अधिकांश जनता के हितों के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ रही।''

संगठन

कांग्रेस की सदस्यता दो प्रकार की है – प्रारम्भिक और सक्रिय। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो, कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के लिए दल के उद्देश्यों में लिखित विश्वास प्रकट करना पड़ता हैं प्रारम्भिक और सक्रिय सदस्यों के चन्दे तथा अधिकारों में अन्तर है। संगठन की दृष्टि से ग्राम या मोहल्ला कांग्रेस सीमित संगठन की आधारभूत इकाई हैं। ग्राम और मोहल्ला कांग्रेस समितियों के उपर तहसील समितियाँ होती है। इसके ऊपर जिला समितियां और प्रान्तीय समितियां होती हैं। प्रान्तीय कांग्रेस समीतियों के ऊपर कांग्रेस का राष्ट्रीय या अखिल भारतीय संगठन होता है जो एक अध्यक्ष एक कार्यकारिणी समिति, एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कांग्रेस के खुले वार्षिक अधिवेशन से मिलकर बनता हैं कांग्रेस ने विधान में एक नये संशोधन द्वारा अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 अन्य सदस्य होते है। कार्यकारिणी समिति के 10 सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा निर्वाचित किए जाते है और 10 सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते है। कार्यकारिणी समिति में ही कांग्रेस की सर्वोच्च शक्ति निहित हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में तीन प्रकार के सदस्य होते है। निर्वाचित प्रदेश और सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि। कांग्रेस के संसदीय कार्यो के नियंत्रण और समन्वय के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति एक संसदीय बोर्ड की स्थापना करती है, जिसमें कांग्रेसाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होते हैं।

कांग्रेस (आई) की नीतियाँ और कार्यक्रम

(Programme and Policies of the Congress (I))

जनवरी 1980 के लोकसभा के चुनावों के समय इस दल ने जो चुनाव घोषणा–पत्र (Election Mainifeslo) जारी किया था और उसके बाद इस दल ने जो नीति

प्रस्ताव समय–समय पर पारित किये हैं उसके अनुसार इस दल के कार्यक्रम और नीतियों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णन कर सकते है :

1. **धर्म निरपेक्ष समाज (Secular Society)** : इस दल ने यह वचन दिया था कि यह दल धर्म–निरपेक्षता की स्थापना के लिए वचनबद्ध है और इस मन्तव्य के लिए यह दल ऐसी कार्यवाहियाँ करेगा जिससे साम्प्रदायिक एकता और धार्मिक सहन शक्तियाँ विकसित हो सके। इस दल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय जीवन में उनके प्रभावशाली सहभागिता को यकीनी बनाने के लिए आवश्यक पग उठाने का भी वचन दिया था। यह दल इस मत का समर्थक है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित की गई शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण सुरक्षा और धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धर्म–निरपेक्षता को शक्तिशाली बनाने के लिए यह उन राजनीतिक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के पक्ष में है जो संस्थाएं भारतीय शासन प्रणाली के मूल सिद्धान्तों को नष्ट करने के लिए साम्प्रदायिक वर्गो या जात–पात सम्बन्धी भावनाओं को उत्तेजित करती हैं।

2. **अल्पसंख्यक (Miniorties)** : इस दल ने यह वचन दिया था कि साम्प्रदायिक हिंसा (Communal Violences) को समाप्त करने के लिए यह दल एक विशेष शक्ति (Force) स्थापित करेगा जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिक शक्ति स्थापित करने में सहायता करना होगा इस शक्ति में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित कबिलों के लोग भर्ती किए जायेंगे। अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रति भी यह दल विशेष ध्यान देने का समर्थक हैं। अपने चुनाव घोषणा–पत्र में इस दल ने अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया था कि सुरक्षा सेवाओं और सरकार की अन्य सेवाओं में उन्हें उचित रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस दल ने यह भी विश्वास दिलाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को यकीनी बनाया जायेगा और यह दल अल्पसंख्यकों के निजी कानून (Personal Law) में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

3. **प्रजातंत्र को शक्तिशाली बनाना (Strengthening of Democracy)** : इस दल ने यह विश्वास प्रकट किया था कि कुछ विशेष हितों के द्वारा धन का अधिक प्रयोग और शारीरिक पक्ष से डराने धमकाने (Physical Inlimidalious) की कार्यवाहियों को रोकने के लिए आवश्यक पग बने उठाने की तत्काल आवश्यकता है। इस दल के विचार में कार्यवाहियां विशेष करके पिछड़े क्षेत्रों में घटनाएं घटती हैं और जब तक इन कार्यवाहियों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक भारतीय लोकतंत्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। इस दल ने जनता दल की सरकार ने प्रजातंत्र विरोधी ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए कोई यत्न नहीं किये हैं, अपितु इसके विपरीत चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने स्वयं उन कार्यवाहियों का सहारा लिया हैं। जनता सरकार ने दल परिवर्तन को ही उत्साहित किया था और भी कुछ ऐसी कार्यवाहियाँ की थी जिनके कारण भारतीय प्रजातंत्र कमजोर है। इसलिए कांग्रेस (आई) ने इस बात पर बल दिया था कि भारतीय प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो भी अभाव या पथभ्रष्टता प्रवेश कर गई है, उन सभी को दूर करने के लिए यह दल ठीक रूप से कार्यवाही करेगा।

4. **प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentalisation)** : इस दल ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीयकरण पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया था। इस दल का विचार है कि राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में लोगों को विशाल स्तर पर शामिल करने के लिए प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की क्रिया को कार्यान्वित रूप देना अनिवार्य है। इस दल का यह मत हैं कि प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की क्रिया निम्न स्तर पर आरंभ होना अनिवार्य हो ताकि लोग सरकार के साथ सम्बन्धित स्थानीय स्तर के कार्यो से क्रियाशील सहयोगी बन सके।

5. **आर्थिक कार्यक्रम (Economic Programme)** : यह दल समाजवादी समाज (Socialist Society) स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। यह दल ऐसी अर्थ–व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो शोषण से मुक्त हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति

के लिए ही यह दल योजना बन्दी का पुनर्निर्माण करने का समर्थक है। अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए इस दल की दृष्टि से अधिक से अधिक वे वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। मुद्रा स्फीति (Implation) के प्रसार को रोकने के लिए मांग और पूर्ति में ठीक संतुलन स्थापित करने के लिए यह दल उचित वित्तीय नीतियों को ग्रहण करना चाहता हैं। इस दल को विश्वास है कि इन मन्तव्यों को प्राप्ति के लिए उत्पादन को विशाल स्तर पर बढ़ाना अति आवश्यक है और यह तक ही सम्भव हो सकता है, यदि ऐसा आर्थिक वातावरण विकसित किया जाये जिसमें लोग औद्योगिक धन्धों में पैसा लगा सके। इसके अतिरिक्त इस दल का यह विश्वास है कि जब तक आवश्यक कच्ची सामग्री उचित मात्रा में उत्पादकों को प्राप्त नहीं होती तब तक उत्पादन के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस मन्तव्य की प्राप्ति के लिए इस दल ने परिवहन के साधनों की योग्यता में सुधार करने, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने और स्मगलिंग, जखीराबाजी और अन्य आर्थिक अपराधों को कठोरता सहित निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ करने का विश्वास दिया था।

6. **रोजगार (Employment)** : यह दल रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास के साधन को विशाल स्तर पर अपनाना चाहता है। इस दल का विचार है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसी औद्योगिक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये जो रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करती हो। अधिक से अधिक रोजगार को यकीनी बनाने के लिए यह दल ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में कारीगरों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का समर्थन करता है ताकि वह अपने लिए आप रोजगार पैदा कर सकें। यह दल रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के मन्तव्य से वनों का विकास, दरियाओं और सिंचाई की नहरों में से रेत निकालने के कार्यो आदि को विशाल स्तर पर ग्रहण करना चाहता है। शिक्षक और योग्य युवक पुरूषों और स्त्रियों की

सहायता करके उन्हें अपना कारोबार चलाने के योग्य बनाना इस दल के कार्यक्रम में शामिल है।

7. **काश्तकारी (Agriculture)** : यह दल काश्तकारी का आधुनिकीकरण के लिए काश्तकारी की उपज को अत्याधिक बढ़ाने के पक्ष में है। इस दल ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में यह दावा किया था कि कांग्रेस शासन के दौरान की 'लघु कृषक विकास संस्था' (Small Farmer's Development Agency) स्थापित की गई थी। अत्याधिक संस्था में छोटे कृषकों ने इस संस्था से अनेकों प्रकार की रियायतें और लाभ प्राप्त किये थे। लघु कृषक विकास संस्था की गतिविधियों का सम्पूर्ण देश में विस्तार करना और इसके कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण करना इस दल के कार्यक्रम में शामिल है।

8. **उद्योग (Industry)** : यह दल छोटे ग्रामीण स्तर और विशाल स्तर के उद्योग के सामूहिक विकास पर विश्वास रखता है। उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता को यकीनी बनाना इस दल के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

9. **कमजोर वर्ग (Weaer Sections)** : इस दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह विश्वास दिया था कि कमजोर वर्गो के लिए एक विश्वास कार्यक्रम लागू करेगा। पांच वर्षो के समय में सभी गांवों को पीने के शुद्ध पानी का प्रबन्ध करना, कमजोर वर्गो के लोगों को मकान बनाने के लिए मुफ्त भूमि देना, शहरी क्षेत्रों में गन्दे उपनिवेशों की सफाई कराना, सफाई कर्मचारियों के प्रति विशेष ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारी समाप्त करना और वचनबद्ध मजदूरी (bouded labour) का अन्त करना कमजोर वर्गो की स्थिति को सुधारने सम्बन्धी ग्रहण किये जाने वाले कार्यक्रम के विशेष लक्षण होंगे। कांग्रेस (आई) ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को फिर से लागू करने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की।

विदेश नीति (Foregin Policy)

विदेश नीति पर निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया :

1. आणविक तकनीकि का विकास शान्तिपूर्ण क्षेत्रों के लिए जारी रहेगा।

2. पार्टी देश की गरिमा और सुरक्षा कायम रखेगी।
3. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और गुट–निरपेक्षता की नीति का दृढ़ता के साथ पालन किया जाएगा।
4. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय हित और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखने का वचन दिया गया।

12वीं लोकसभा के चुनाव (फरवरी 1998) और कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र

लोकसभा के फरवरी 1998 में सम्पन्न हुए मध्यावधि चुनावों के अवसर पर जारी चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने से नहीं बचा पाने के कारण बिना शर्त माफी मांगी और इसके लिए अपनी तत्कालीन सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री पी०वी० नरसिंह राव को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। घोषणा पत्र में संयुक्त मोर्च को भानुमति का कुनवा बताया। जनता दल को 'एमीबा' कीड़ें की तरह घोषित किया गया। इसे निराशा और घमण्डी लोगों का जमावड़ा बताया गया। कांग्रेस ने जैन आयोग की रिर्पोट के मुद्दे पर संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापसी को उचित ठहराया और कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने नेता राजीव गांधी की हत्या पर समझौता नहीं कर सकती।

कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों से अनेक वादे किये। कहा गया कि अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के लिए एक नया मन्त्रालय गठित किया जायेगा। संविधान में संशोधन करके अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एक आयोग स्थापित करेगी। उर्दू को उसका उचित स्थान दिलाया जायेगा पार्टी भारतीयों के लिए समान निजी कानून बनाने के विचार को नहीं मानती। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की सुविधा देगी। उन्हें पिछड़े वर्गो के लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं का भी लाभ देगी।

कांग्रेस ने चुनाव पत्र में कहा है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों को स्थापित किया जाएगा। बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के लिए शुरू की गई सौ करोड़ रूपए की विशेष ऋण व्यवस्था की राशि दुगुना कर दिया जाएगा। उद्योगों में कर्मचारियों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्व सैनिकों

के पुनर्वास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए पार्टी एक राजनीतिक अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस सभी स्कूलों में एन०सी०सी० को अनिवार्य कर देगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सिर्फ गरीब और जरूरतमन्द लोगों को मिले। वर्तमान परिवार नियोजन की खामियों को एक सुनिश्चित तरीके से दूर करने का प्रयास किया जायेगा। चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपने आर्थिक ऐजेण्डा की भी रूपरेखा निर्धारित की। कहा गया कि कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में विशेषकर पिछड़े इलाकों में वास्तविक पूंजी निवेश बढ़ाना होगा। ऋण प्रणालियों को फिर सशक्त बनाना होगा। बिजली, सड़क, बन्दरगाह, कोयला, तेल और गैस, खनन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी, सार्वजनिक और निजी, पूंजी निवेश बढ़ाना होगा। पूंजी बाजार में फिर से उत्साह का संचार करना होगा। रोजगार परक आर्थिक गतिविधियों को नीति का विकास बनाकर उन पर विशेष ध्यान देना होगा। इनमें निर्यात, कृषि, पशुधन और पशुपालन, सूचना टेक्नॉलोजी, आवास और निर्माण, नवीकरण, छोटे और ग्रामीण उद्योग, कपड़ा तथा पर्यटन आदि उद्योग शामिल है।

कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि वह विदेश नीति को देश की आर्थिक प्राथमिकतओं और चिंताओं से जोड़ेगी। कांग्रेस देश में पाकिस्तान के सहयोग से चल रही आतंकवादी और घुसपैठ की गतिविधियों का डटकर मुकाबला करेगी। हमारी परमाणु नीति शान्तिपूर्ण और विकासात्मक बनी रहेगी। लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने अन्य विकल्पों को भी खुला रखेंगे। कांग्रेस अमरीका के साथ सम्बन्धों को और मजबूत करेगी, यूरोपीय संघ के साथ समझौतों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। रूस के साथ ऋण समस्या का मान्य हल खोजने के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस पूर्ण निरशस्त्रीकरण के प्रयास जारी रखेगी। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की अपनी नीति को फिर दुहराया। घोषणा पत्र में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाले वामंपथी मोर्दे ने सन् 1989 के चुनावों में भाजपा के साथ रहा। कांग्रेस ने ही भाजपा से न कभी समझौता किया और न करेगी। पार्टी ने देश में आर्थिक स्वरूप की स्थापना को अपना लक्ष्य बताया।

''पूरे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है'' के उद्घोष के साथ कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया है कि स्थायित्वपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए एक बार फिर उसे भारत की जनता का समर्थन मांगा।

13वीं लोकसभा में चुनाव (सितम्बर–अक्टूबर 1999) और कांग्रेस का घोषणा पत्र

1999 में 13वीं लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी ने नेतृत्व में लड़ा। पिछले वर्ष सोनिया के अध्यक्ष पद सम्भालने से पार्टी को नया वंशगत उत्तराधिकारी मिल गया। सोनिया गांधी के इस चुनाव में अल्पसंख्यकों और दलितों का समर्थन फिर से पाने के साथ–साथ अभिजात वर्ग की सद्भावना का पहले जैसा लाभ उठाने का भरसक कोशिश की। मध्यम वर्ग का दिल जीतने के लिए पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि 'एक करोड़ नए रोजगार के अवसर बनाए जाऐगे। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पैकेज की चर्चा करते हुए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया।

चुनाव घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दु

- मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण के लिए केबिनेट समिति का गठन।
- सन् 2003 तक आपात लाइसेन्स का खात्मा करना।
- छोटे किसानों को मिलने वाले कर्ज की मात्रा दोगुनी करना।
- दूरसंचार में विदेशी निवेश की सीमा पर पुनविचार करना।
- प्रतिरक्षा सुधारों के लिए समिति का गठन करना।
- राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कोष की स्थापना।
- राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा परिषद का गठन करना।
- श्रम कानूनों का पुनर्निरीक्षण तथा नई कपड़ा नीति।

14वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2004 और कांग्रेस) : 2004 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़े और 114 से अपनी सीटें 145 करके चुनावी चमत्कार किया। चुनावों में कांग्रेस की रणनीति दो तरफा रही – सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर केन्द्रीय भूमिका में आना और अपने इर्द–गिर्द रणनीतिक

गठजोड़ बनाना। कांग्रेस के ज्यादातर साझीदार अपने–अपने राज्यों में उसके मुख्य विरोधी थे। कांग्रेस ने ज्यादातर उन्हीं राज्यों में अधिक सफलता प्राप्त की जहां वह सत्ता में नहीं है। पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखण्ड और केरल में उसका प्रदर्शन खराब रहा। कुल मिलाकर उसे 26.69 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। चुनावों के बाद कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन' (UPA) अस्तित्व में आया और डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया।

15वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2009 और कांग्रेस) : 15वीं लोकसभा के लिए अप्रैल–मई 2009 में पांच चरणों में सम्पन्न चुनावों में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले यूपीए ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। लोकसभा की चुनाव वाली 543 सीटों में से 261 सीटों पर विजय प्राप्त करने वाला यूपीए गठबन्धन अपने ही दम पर सरकार के गठन हेतु स्पष्ट बहुमत के निकट पहुंच गया। यूपीए के प्रमुख घटक कांग्रेस को 29.67 प्रतिशत मतों के साथ अकेले ही 206 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। पहले से भी अधिक शक्ति के साथ यूपीए ने सत्ता में वापसी की तथा डॉ० मनमोहन सिंह ने एक बार पुनः प्रधानमन्त्री के रूप में सरकार की कमान सम्भाली।

16वीं लोकसभा चुनाव (अप्रैल–मई 2014 और कांग्रेस) : इस चुनाव में कांग्रेस को 19.6 प्रतिशत मतों के साथ मात्र 44 सीटें प्राप्त हुई। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए को भी कांग्रेस समेत कुल मिलाकर मात्र 60 सीटें ही मिली। दिल्ली, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी (रायबरेली) और राहुल गांधी (अमेठी) ही अपनी जीत दर्ज कर सके। चूंकि दस प्रतिशत सीटें न होने के कारण 16वीं लोकसभा में कांग्रेस और उसके नेता को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा भी नसीब नहीं हुआ।

लोकसभा चुनाव 2014 : कांग्रेस घोषणा–पत्र

लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा–पत्र 26 मार्च, 2014 को जारी किया। इसमें पार्टी ने 100 दिन का अपना एजेण्डा पेश किया। कांग्रेस के घोषणा –पत्र में सबके लिए आवास के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया

गया। कांग्रेस भवन में घोषणा–पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम भूमिहीनों और गरीबों के लिए आवास का वायदा करते हैं। इसके अतिरिक्त घोषणा–पत्र में बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देने की भी बात कही गई।

कांग्रेस ने आर्थिक वृद्धि दर तीन वर्ष में आठ प्रतिशत वार्षिक करने, 10 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने तथा मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण के लिए ठोस कदम उठाने का वायदा किया। घोषणा–पत्र में वायदा किया गया कि सत्ता में आने के एक वर्ष के अन्दर उनकी सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करेगी और उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) एवं प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के प्रस्तावों को लागू किया जाएगा, जो घोषणा–पत्र दिया है उसमें उदारीकरण की जगह सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। पार्टी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए 15 सूची कार्यक्रमों को जनता के सामने रखा। 20 वर्ष तक जमीनों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का वादा भी किया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाना भी पार्टी के घोषणा–पत्र का हिस्सा है। कांग्रेस ने आने वाले पांच वर्षों में शहरों में झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने, 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में हाईस्पीड ट्रेन चलाने और अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार देने का वादा किया। 'आपकी आवाज, हमारा संकल्प' शीर्षक से जारी घोषणा–पत्र में कांग्रेस थोड़ी सहमी हुई भी दिखी। शायद यही कारण था कि घोषणा–पत्र में कहीं भी महंगाई को कम करने का वादा नहीं किया गया। पार्टी को आर्थिक मुद्दों पर चुप्पी साधना ही मुफीद लगा। इसके बजाय राहुल गांधी ने सामाजिक मुद्दों को आगे बढ़ाया।

चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने मध्य और निम्नवर्ग को साधने का निर्णय किया। पार्टी कल्याणकारी उपायों पर विशेष ध्यान देने के एजेण्डे पर थी। इसके अन्तर्गत आम आदमी को स्वास्थ्य, पेंशन, आवास, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा के अनुरूप मानवीय स्थिति में काम करने और उद्यमशीलता के अधिकारों से लैस करने का वादा किया गया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृति का दायरा बढ़ाकर इसमें पिछड़े

वर्ग को भी समाहित करने की बात कही गई। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात और अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रगति जानने के लिए पार्टी हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण कराएगी। देश के हर ब्लॉक में गरीब बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

घोषणा–पत्र में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से निपटने का दृढ़ संकल्प, गरीबी रेखा के नीचे और मध्यवर्ग के बीच आने वाली 70 करोड़ की जनसंख्या के उन्नयन, महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने और राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का वादा भी किया। काले धन जैसे मुद्दों पर विपक्ष के धारदार हमलों को कुंद करने के लिए पार्टी काले धन को वापस लाने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने का वादा किया। सरकारी नौकरियों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए नए रोजगारों के सृजन पर विशेष जोर देने की बात की गई।

भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विपक्ष के आक्रामक प्रचार अभियान का सामना करने के लिए घोषणा–पत्र में इस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने की बात कही है।

घोषणा–पत्र के मुख्य बिन्दु

- आम आदमी को स्वास्थ्य, पेंशन, आवास, सामाजिक सुरक्षा देने का वायदा;
- काले धन को वापस लाने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने का वादा;
- महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देगी पार्टी;
- साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को पारित करेगी पार्टी;
- पिछड़े अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कानून लाएगी पार्टी;
- मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किए बिना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को आरक्षण के दायरे में लाने का रास्ता निकालेगी पार्टी;
- बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देने का वादा;
- आपकी आवाज, हमारा संकल्प का चुनावी नारा;

- निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर राष्ट्रीय सहमति बनाना;
- लचीले श्रम कानून, काले धन को वापस लाने की कोशिश की जाएगी;
- स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के बराबर लाया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janta Party)

भारतीय जनता पार्टी देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल है। इस दल की स्थापना का मुख्य कारण जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा दोहरी सदस्यता को अस्वीकार करना था। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के एक और विभाजन की भूमिका तैयार हो गई जब दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने संसदीय बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दल के विधायकों तथा पदाधिकारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यो में भाग लेने पर रोक लगा दी। इसके परिणामस्वरूप 5 अप्रैल 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन बुलाया और एक नए दल की स्थापना करने का निश्चय किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमति विजयराजे सिंधिया ने की। 16 अप्रैल, 1980 को 'भारतीय जनता पार्टी' की स्थापना की गई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 4 हजार प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव / चिन्ह 'कमल का फूल' है।

नीति तथा कार्य (Policy and Programme)

भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 2 में कहा गया है कि ''पार्टी राष्ट्रीय समन्वय, लोकतंत्र, सकारात्मक धर्म निरपेक्ष, राजनीति के लिए कृतसंकल्प है। पार्टी आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखती है।''

सन् 1998 में हुए लोकसभा चुनावों से पूर्व 3 जनवरी 1998 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए अपने चुनाव घोषणा पत्र में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल थी –

1. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी प्रयास किऐ जायेगें।
2. उत्तरांचल, वनाचल, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ को पृथक राज्यों का दर्जा दिया जाएगा।
3. राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
4. प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियां तथा बीस लाख नये मकान।
5. सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर तुरन्त अमल किया जायेगा।
6. महिलाओं के लिए शिक्षा तथा संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण।
7. अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए जायेंगे।
8. अनुच्छेद 370 को जम्मू व कश्मीर के विशेष स्तर से सम्बन्धित है, को समाप्त किया जायेगा।
9. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि लोकपाल की नियुक्ति की जायेगी और प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक पदों पर प्रतिष्ठित सभी लोग उसकी परिधि में आयेगे।
10. प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को 90 दिन के भीतर अपने तथा अपने परिवार जनों की सम्पत्ति का ब्यौरा देना होगा।
11. सी०बी०आई० को और अधिक स्वायत्तता दी जायेगी।
12. न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। और पार्टी शीघ्र ही निष्पक्ष एवं कम खर्चीला न्याय दिलाने के लिए अनेक कदम उठायेगी।
13. गन्तव्यवाद का सामना करने के लिए पार्टी उपयुक्त कानून बनायेगी शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराऐगी, अवैध शस्त्रों का पता लगाने तथा उनकी तस्करी को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान चलायेगी।
14. घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 8–9 प्रतिशत की वृद्धि दर वार्षिक रूप से बनाई जा सके।

15. पार्टी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च के लिए सरकारी सहायता देने की एक योजना लागू करने पर विचार करेगी।

16. 'स्वदेशी' पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि इसका सीधा–साधा अर्थ है – सर्वप्रथम भारत। सभी राष्ट्रों का यह मुख्य सिद्धान्त है कि अपने देश की वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाये।

17. संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जायेगा।

18. अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण पर जोर, कर सम्बन्धी मामलों का सरलीकरण तथा कर दायरे को व्यापक बनाना।

19. देश को आतंक और दंगों से मुक्ति।

20. घोषणा पत्र में भाजपा ने वायदा किया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु अस्त्रों के निर्माण के विकल्प को खुला रखा जाऐगा। इस सम्बन्ध में वह किसी का भी आदेश नहीं मानेंगे।

21. विदेश नीति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि भाजपा सभी देशों के साथ शांति स्थापित करने, भारत के आकार और उसकी क्षमता के अनुसार विश्व के मामलों में भारत की भूमिका और उसको समुचित स्थान दिलाने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में भारत को स्थाई स्थान दिलाने के लिए जोरदार प्रयत्न करेगी।

13वीं लोकसभा के चुनाव (सितम्बर–अक्टूबर 1999) तथा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र

13वीं लोकसभा चुनावों के अवसर पर भाजपा ने अपना पृथक घोषणा–पत्र जारी नहीं किया। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन का प्रमुख घटक होने के कारण पार्टी ने राजग घोषणा पत्र के आधार पर ही चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी ने राम मन्दिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों को फिलहाल ठण्डे बस्ते में डाल दिया। 24 दलों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को साथ लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने 339 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर 182 सीटें हासिल की।

चुनाव : 1999 : राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के घोषणा–पत्र के प्रमुख बिन्दु –

1. विदेशी मूल के लोगों को विद्यापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में उच्च पद देने पर पाबन्दी।
2. लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करें, इसकी पक्की व्यवस्था।
3. घरेलू उद्योग को खास महत्व।
4. नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति।
5. रोजगार और महिलाओं के उद्यमों को कर्ज देने के लिए बैंक की स्थापना।
6. राष्ट्रीय बचत को सकल घरेलू उत्पाद के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना।
7. योजना राशि का 60 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास पर।
8. निजी ऑपरेटरों की नियन्त्रित के लिए प्रसारण विधेयक।

भारतीय जनता पार्टी का चेन्नई घोषणा पत्र

28–30 दिसम्बर 1999 को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद ने अपनी चेन्नई बैठक में चेन्नई घोषणा–पत्र की स्वीकृति प्रदान की। गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी के अनुसार यही घोषणा पत्र अब भाजपा की आगे की सोच है। घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि सहित सभी विवादित मुद्दों को दरकिनार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (राजग) के ऐजेण्डे को निष्ठापूर्वक लागू करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। प्रारम्भ में कहा गया है कि हर कार्यकर्ता को यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि राजग के ऐजेण्डे को छोड़कर पार्टी का अपना कोई ऐजेण्डा नहीं है। अल्पसंख्यकों के बारे में पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा कभी एक–दूसरे के धर्म में मतभेदों को राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक नहीं बनने देगी।

संक्षेप में, भाजपा ने अपने को नई सदी के लिए तैयार करने के लिए जारी चेन्नई घोषणा–पत्र के प्रारूप में रामजन्म भूमि सहित सभी विवादित मुद्दों को अलग रखकर राजग के ऐजेण्डे को निष्ठापूर्वक लागू करने तथा देश को बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के कृत्रिम विभाजन से मुक्त करने का संकल्प लिया है।

14वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2004 और भाजपा) : वाजपेयी सरकार ने लगभग आठ माह पूर्व ही लोकसभा के विघटन की अनुशंसा कर नई लोकसभा के निर्वाचन की पृष्ठभूमि तैयार की। नवम्बर–दिसम्बर 2003 में आयोजित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों की विधानसभाओं के लिए सम्पन्न चुनावों में अप्रत्याशित सफलता ने राजग के नीतिकारों क मस्तिष्क में खुशनुमा माहौल 'भारत उदय' की घोषणा कर रहा था। इस अवधि में जनमत सर्वेक्षण भगवा उभार और कांग्रेस के उतार की भविष्यवाणी कर रहे थे। वाजपेयी को सोनिया गांधी की तुलना में हांसिल भारी लोकप्रियता का राजग को खासा लाभ मिलना इंगित किया गया, किन्तु चुनावों में भाजपा नीत गठबन्धन कारगर सिद्ध नहीं हुआ। भाजपा अपनी अब तक की सर्वाधिक 182 सीटों से खिसककर 138 पर पहुंची और उसे 22.16 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। जनता ने भाजपा की इस सोच को नकार दिया कि केवल प्रबन्धन और धुआंधार चुनाव प्रचार के सहारे चुनाव जीता जा सकता है।

15वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2009 और भाजपा) : 15वीं लोकसभा चुनावों में भाजपा नीत एनडीए को 159 सीटें और अकेली भाजपा को 19.29 प्रतिशत मतों के साथ मात्र 116 सीटें हासिल हुई। आडवाणी ऐसा कोई सन्देश नहीं दे सके जो समय की जरूरतों से मेल खाता हो। पहचान के संकट और सैद्धान्तिक भ्रम में फंसी भाजपा ने मध्यम वर्ग को खो दिया।

16वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2014 और भाजपा) : 16वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा को 282 सीटों के साथ 31.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। लोकसभा में तीस वर्षों बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कुल मिलाकर 335 सीटों पर विजय मिली। भाजपा/एनडीए को दिल्ली, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत प्राप्त हुई। यहाँ तक कि असम, ओडिशा, विहार, झारखण्ड में भी भाजपा/एनडीए को सफलता मिली। भाजपा की सफलता का श्रेय उसके प्रधानमन्त्री पद के प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी एवं उनके सुशासन और विकास के नारों में देखी जा सकती है।

भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए घोषणा–पत्र

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 7 अप्रैल, 2014 को 16वीं लोकसभा के पहले चरण के मतदान शुरू होने के साथ ही अपना घोषणा–पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा–पत्र में अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण, जम्मू–कश्मीर से धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए लोगों से इन्हें पूरा करने का वायदा किया है।

- घोषणा–पत्र में अर्थव्यवस्था व आधारभूत संरचना को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मिटाने पर जोर दिया गया है, वहीं राम मन्दिर और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों को एक बार फिर शामिल किया है।
- भाजपा के घोषणा–पत्र में नीतियाँ की कमी, व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के साथ ही टीम इण्डिया की परिकल्पना जैसे मुद्दे शामिल।
- युवाओं के लिए रोजगार पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को नीति–निर्धारण में शामिल करेंगे।
- फ्रेट एवं औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
- प्रत्येक गांव तक पानी, प्रत्येक क्षेत्र तक पानी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा।
- बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में एफडीआई का स्वागत।
- तटीय क्षेत्र नेटवर्क का विकास सागरमाला परियोजना के द्वारा किया जाएगा।
- निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया जायेगा। कर आतंक का खात्मा होगा और लोगों की परेशानी कम होगी।
- अल्पसंख्यकों को शिक्षा और उद्योग में अधिक अवसरों की आवश्यकता पर जोर।
- न्यायिक, चुनावी और पुलिस सुधारों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन सहित नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में एम्स होगा।
- महिला सुरक्षा पर भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है, जिसके लिए हर राज्य में पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की गई है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विशेष अधिकार देने का वादा किया गया है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्तर को कम करने का दावा किया गया है। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को मजबूत किया जाएगा।
- अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए टैक्स ढांचे में सुधार जरूरी है। टैक्स के मौजूदा नियमों से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। संप्रग सरकार ने टैक्स टेरोरिज्म को बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकारी बैंकों की हालत सुधारने की बात की गई है।
- भाजपा ने भारत के हर व्यक्ति को पक्का घर का वादा किया है।
- भाजपा सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रणाली में सुधार करेगी।
- कई नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया गया है। हर गांव में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा। रेलवे का एग्री नेटवर्क तैयार करेंगे। पूरे देश में गैस ग्रिड बनाया जाएगा। 50 नए टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे। बॉर्डर और कोस्टल एरिया में यातायात सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी विशेष पैकेज देने का वादा किया गया है।
- देश के युवा अभी स्किल्ड नहीं हैं और उन्हें पूरी तरह स्किल्ड किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने की बात कही गई है।
- विज्ञान के क्षेत्र में और विकास करेंगे। नदियों के जोड़ने का कार्य होगा।

- योग, आयुर्वेद और होम्योपैथ का विकास होगा। मल्टी कंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे। यूजीसी उच्च शिक्षा में सुधार का कार्य भी करेगा।
- शहरों और गांवों का फर्क कम किया जाएगा। विकलांगों के लिए नए अधिकार तय होंगे। मदरसों के आधुनिकीकरण का कार्य करेंगे। मदरसों को केन्द्र सरकार पैसा देगी।
- भाजपा ने जम्मू–कश्मीर मुद्दे पर कहा है कि कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ घाटी में वापसी कराई जाएगी और उनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने के साथ ही जीवनयापन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- कालेधन के सम्बन्ध में कहा गया है कि विदेशों में जमा कालेधन के लिए टॉस्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसके द्वारा कालेधन को वापस देश में लाया जाएगा। ब्लैक मनी को रोकने के लिए दूसरे देशों की सरकार के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाएगा।
- भाजपा ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा है कि वह एक सिस्टम खड़ा करेगी जो भ्रष्टाचार की सभी गुंजाइशों को समाप्त कर देगा। इसके लिए जनता को जागरूक किया जाएगा।
- पार्टी जनता को जन जागरूकता, प्रौद्योगिकी आधारित ई–गवर्नेंस आदि के बारे में सक्षम करेगी, जिससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा टैक्स प्रणाली को सरल करेगी, ताकि लोग ईमानदारी से अपने टैक्स का भुगतान कर सकें। टैक्स प्रणाली को आसान बनाने से नागरिकों का संस्थानों और प्रतिष्ठानों में विश्वास मजबूत होगा।

भाजपा ! जनसंघ का दूसरा अवतार भले ही हो, लेकिन उसमें जनसंघ जैसी कोई बात कहीं नजर नहीं आती। जनसंघ के मुकाबले भाजपा ने राजनीतिक दृष्टि से संगठन का विस्तार तेजी से किया, केन्द्र और अनेक राज्यों में सत्ता भी हासिल की, लेकिन अन्य दलों के लोग ही नहीं स्वयं भाजपा के अधिकांश लोग मानते हैं कि बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद पार्टी की पुरानी पहचान खो गई। केन्द्र में 1998 से 2004 तक सत्ता का दौर पार्टी के लिए नई पहचान बनाने का माध्यम तो बना, लेकिन

उसमें वह सब अवगुण धीरे–धीरे घर करते गए, भाजपा जिसके लिए कांग्रेस की आलोचना करती रही थी।

सत्ता की होड़, ऊपर से नीचे तक गुटबाजी, पार्टी के स्थान पर व्यक्तिवाद और पांच सितारा संस्कृति जैसी बुराईयां पार्टी में कब आईं और जड़ें मजबूत करती गईं, पता ही नहीं चला। सत्ता के इस दौर में कुछ नेताओं ने अवश्य यदा–कदा इस तरफ पार्टी का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती बनकर रह गई। कांग्रेस का विकल्प तो भाजपा बनती गई, लेकिन इन दौरान वह न सिर्फ अपने सिद्धान्तों से भटकती गई, बल्कि अनुशासन की अपनी विशिष्ट पहचान भी खोती गई।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के शुरूआती दौर को छोड़ दें तो पिछले लगभग 45 वर्ष से जनसंघ–भाजपा अटल–आडवाणी के भरोसे पली, बढ़ी और अन्य दलों के मुकाबले देश की राजनीतिक धारा में अपनी खास जगह बनाई। सत्ता की मदहोशी में या यूं कहा जाए कि अपने 'उद्देश्यों' से भटकाव ने पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को निराश किया जिन्हें सत्ताधारी भाजपा से कुछ खास उम्मीदें थीं।

सपने जब टूटने लगे तो टकराव का नया रास्ता खुला और केन्द्र में सत्ता की बेदखली के बाद से शुरू हुआ यह टकराव नई दिल्ली से होकर अहमदाबाद, भोपाल, रांची, जयपुर अर्थात् सभी राज्यों तक पहुंचने लगा। असन्तोष और खिन्नता की चिंगारी 'शब्दों' के रूप में बाण बनकर एक–दूसरे पर बरसने लगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा पुरजोर करने वाली भाजपा के 'लौह पुरुष' ने पाकिस्तान में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताकर तो मानो आग में घी डाल दिया। भाजपा ही नहीं अन्य दलों में भी अपनी साख रखने वाले प्रचारक से भाजपा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आडवाणी अपनों की आंख की ही किरकिरी बन बैठे। मदनलाल खुराना, यशवन्त सिन्हा, भाई महावीर, प्यारेलाल खण्डेलवाल, शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर सामने आ गए, तो परिवार का मुखिया समझे जाने वाले संघ ने भी अपने इस पुराने 'प्रचारक' से पल्ला झाड़ लिया और यहीं से शुरू हुआ टकराव के पराकाष्ठा पर पहुंचने का सिलसिला। जब आलाकमान ही नेताओं

कार्यकर्ताओं के निशाने पर हो तो क्षत्रपों को कौन समझाए और समझाने पर वे मान भी कैसे सकते हैं।

यह मांग उठ रही है कि भाजपा इस पर चर्चा करे कि उसे हिन्दुत्व की मूल विचारधारा का ही अनुसरण करते रहना चाहिए या नहीं। भाजपा में भी नेतृत्व का संकट है। दूसरी पंक्ति के नेता एक–दूसरे की पार्टी की हार का कारण बताकर टांग–खिंचाई में लगे हैं। जिन्ना प्रकरण के बाद विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी की आवाज में पहले जैसा दम नहीं रहा, इसीलिए वे इन झगड़ रहे नेताओं को काबू में नहीं कर पाये। वे दिन हवा हुए जब वाजपेयी और आडवाणी की पार्टी में तूती बोलती थी और उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं देता था।

दिसम्बर 2007 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव नतीजे इस बात के संकेत थे कि भाजपा के राजनीतिक सितारे बुलन्दी पर है। गुजरात में मिली जीत के बाद भाजपा के शानदार प्रदर्शन की अनुगुंज राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर सुनाई देने लगी थी। फरवरी–मार्च 2012 में सम्पन्न 5 विधानसभा चुनाव परिणामों से भाजपा को निराशा ही हाथ लगी। उत्तर प्रदेश में जहां 2007 में उसे 51 सीटें प्राप्त हुई थी वहीं अब उसके पास 47 सीटें ही रह गयी। बहुमत के करीब पहुंचकर भी उत्तराखण्ड उसके हाथ से निकल गया, उसके मुख्यमंत्री खंडूरी कोटद्धार से हार गये। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में उसे 21 सीटें प्राप्त हुई।

वर्ष 2014 में जब दिल्ली में नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में भाजपा/एनडीए सरकार पदासीन हुई तो भाजपा लगभग 7 राज्यों में सत्तारूढ़ थी और 16वीं लोकसभा में एनडीए के 67 प्रतिशत सांसद 21 राज्यों से जीतकर आए थे। वर्तमान में (मई 2018 के बाद) भाजपा 20 राज्यों में सत्ता पर काबिज है उसने 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से 16 राज्यों में सरकारें बनाने में सफलता प्राप्त की है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 104 सीटें जीतकर वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आज भाजपा देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या पर शासन कर रही है और कांग्रेस तथा उसके गठबंधन सहयोगी महज 7.53 प्रतिशत जनसंख्या पर ही शासन कर रहे हैं।

भारतीय साम्यवादी दल (Communist Party of India)

भारत में साम्यवादी दल की स्थापना सन् 1924 में हुई, परन्तु सन् 1934 में इस दल को, अवैध घोषित कर दिया तथा इसके नेताओं को बंदी बना लिया गया। द्वितीय महायुद्ध में जब रूस भी अंग्रेजों के साथ शामिल हो गया तो इस दल ने अंग्रेजों का समर्थन करना आरम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 1943 में इस दल पर से प्रतिबंध हटा लिया। इस काल में अनेक साम्यवादी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, परन्तु 1945 में जब कांग्रेसी नेता जेल से छूटकर आए तो इन साम्यवादियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया।

भारत की स्वतंत्रता के बाद इस दल ने काफी प्रगति की। सन् 1957 में इसे केरल में प्रथम गैर–कांग्रेसी सरकार बनाने का अवसर मिला, परन्तु 1962 के भारत–चीन युद्ध के बारे में इस दल में फूट पड़ गई। इसके एक गुट ने भारत सरकार का समर्थन किया परन्तु दूसरे गुट ने चीन को ठीक बतलाया और भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह चीन के साथ वार्ता आरम्भ करें।

सन् 1964 में इस दल का विभाजन हुआ और इसमें वामंपथी सदस्यों ने श्री गोपालन के नेतृत्व में एक अन्य दल साम्यवादी दल मार्क्सवादी (C.P.I. (M)) की स्थापना की।

सन् 1996 में हुए लोकसभा चुनावों से पूर्व पार्टी में महासचिव की इंद्रजीत गुप्त द्वारा 27 मार्च 1996 को पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल थी –

1. आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की नीतियों को रोका जाएगा।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध को व्यवसायिक बनाया जाएगा और मजदूरों की भागीदारी के जरिए उसका लोकतंत्रीकरण किया जाएगा।
3. बजट का 50 प्रतिशत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि के विकास के लिए निर्धारित किया जाएगा।

4. कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य और उपभोक्तावादों के लिए युक्तिसंगत कीमतें तय की जाऐगी।
5. छोटे उद्यमियों एवं स्वरोजगार शुदा लोगों के लिए अवसरों का विस्तार किया जाऐगा।
6. काला धन (Black Money) को बाहर निकालने के लिए कठोर प्रयास किए जाएंगे।
7. केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी और जहां उच्च टेक्नोलोजी की आवश्यकता हो, वहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को स्वीकृति दी जाएगी।
8. सभी गांवों तथा शहरी गरीबों के इलाकों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।
9. काम के अधिकार को (Right to Work) संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाऐगा और बेकारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने की शुरूआत की जाएगी।
10. 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
11. बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया जाएगा।
12. दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नीतियों को लागू किया जाएगा।
13. अलग उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए संवैधानिक तथा प्रशासनिक कदम उठाए जाएगें।
14. महिलाओं और पुरूषों के लिए समान परिश्रमिक की व्यवस्था लागू की जाएगी।
15. एक लोकतांत्रिक आवास नीति बनाई जाएगी तथा मध्यवर्गीय लोगों को सस्ता आवासीय कर्ज दिया जाएगा।
16. धर्मनिरपेक्षता की सभी प्रकार की साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रहार में रक्षा की जाएगी।

17. अपराधिक रिकार्ड (Criminal Record) वाले व्यक्तियों को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा।

18. व्यापक रूप से चुनाव सुधार लागू किए जाएगे और आचार संहिता (Code of Conduct) लागू की जाऐगी।

19. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Alignment Movement) को सशक्त बनाया जाएगा और नाभिकीय अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने से मना किया जाएगा।

20. उर्दू तथा सिंधी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाएगी।

21. सरकारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार देने, अंतर्राष्ट्रीय परिषद् का पुनर्गठन करने, लोकपाल व्यवस्था लागू करने तथा स्थानांतरण (Transfer) और नियुक्ति में भ्रष्टाचार को रोकने का भी पार्टी द्वारा वायदा किया गया।

12वीं लोकसभा के चुनाव (फरवरी 1998) और भारतीय साम्यवादी दल : फरवरी 1998 में सम्पन्न 12वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल को 9 सीटें प्राप्त हुई इनमें से 3 सीटें पश्चिम बंगाल तथा 2–2 सीटें केरल और आन्ध्र प्रदेश से उसे मिलीं।

13वीं लोकसभा चुनाव (सितम्बर–अक्टूबर 1999) और भारतीय साम्यवादी दल : सितम्बर–अक्टूबर, 1999 में सम्पन्न 13वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल को 4 सीटें प्रापत हुई और उसका वोट प्रतिशत 1.45 रहा। दल ने 54 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए।

14वीं लोकसभा चुनाव (अप्रैल–मई 2004) और भारतीय साम्यवादी दल : अप्रैल–मई 2004 में सम्पन्न 14वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल को 10 सीटें प्राप्त हुई और उसका वोट 1.4 प्रतिशत रहा।

15वीं लोकसभा चुनाव (अप्रैल–मई 2009) और भारतीय साम्यवादी दल : 15वीं लोकसभा में भारतीय साम्यवादी दल को मात्र 1.46 प्रतिशत मतों के साथ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। केरल में कांग्रेस के बजाय अपनी ही आन्तरिक गुटबाजी से लोहा लेने के कारण वामपंथियों को भारी हार का सामना करना पड़ा।

16वीं लोकसभा चुनाव (अप्रैल–मई 2014) और भारतीय साम्यवादी दल : 16वीं लोकसभा चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल को मात्र 01 सीट से साथ 0.8 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) Communist Party of India (Marxist)

सन् 1964 में साम्यवादी दल दो भागों में विभक्त हो गया तथा एक नये दल भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का जन्म हुआ। इसके नेता प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बसु, ए०के० गोपालन तथा पी० राममूर्ति हैं। 1967 ई० के चुनावों में इस दल को भारतीय साम्यवादी दल के मुकाबले में अधिक सफलता मिली। दल को लोकसभा में 19 एवं राज्य–विधानसभाओं में 128 स्थान प्राप्त हुए। केरल में नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में संयुक्त सरकार का निर्माण हुआ। पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी की संयुक्त सरकार में मार्क्सवादी–साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन् 1971 के चुनावों में इसकी शक्ति में वृद्धि हुई और लोकसभा में इसके 25 सदस्य हो गये।

सन् 1998 में हुए लोकसभा चुनावों से पहले वाम मोर्चा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी और आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक) द्वारा संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र 16 जनवरी, 1998 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं –

1. मोर्चा के सत्ता में आने पर धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए कानून बनाया जाएगा अयोध्या विवाद को निपटाने के लिए पार्टी इस मामले को उच्चतम न्याालय में ले जाएगी।
2. घोषणा–पत्र में कहा गया है कि तेजी से उदारीकरण की और दौड़ रही अर्थ व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी और निजीकरण को रोका जाएगा। बीमार मिलों और कारखानों को पुनः चलाने का प्रयास किया जाएगा। देश में विदेशी पूंजी का अंधाधुंध प्रवेश रोका जाएगा।
3. बैंकिग व्यवस्था के निजीकरण पर भी पूरी रोक लगाई जाएगी और नए प्राइवेट बैंक नहीं खोलने दिये जाऐगे।

4. जम्मू व कश्मीर से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 370 को बनाए रखा जाएगा। साथ ही राज्य को अधिक स्वतंत्रता भी दी जाएगी।

5. उत्तर–पूर्वी राज्यों को विघटन से रोकने के लिए विघटनकारी तत्वों से खुलकर बातचीत की जायेगी।

6. घोषणा पत्र में कहा गया है कि देश में सम्पूर्ण सामाजिक न्याय को साकार बनाने के लिए कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा, फसल तथा पशुओं के बीमा की व्यवस्था की जाएगी।

7. काले धन को रोकने के लिए कड़े उपाय किये जायेंगे।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और व्यापक बनाया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को केन्द्र से घोषित कीमतों से आधी कीमत पर खाद्यन्न उपलब्ध कराया जाएगा।

9. 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया गया और कहा गया कि केन्द्रीय बजट में शिक्षा पर कम से कम दस प्रतिशत और राज्यों में इस मद पर तीस प्रतिशत खर्च होना चाहिए।

10. घोषणा पत्र में महिलाओं को समान अधिकार देने संसद एवं राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण आदि अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के आरक्षण कोटे को पूरी तरह से भरने की बात कही गई।

11. दलित ईसाइयों के लिए भी आरक्षण का वादा किया गया।

12. अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, उर्दू भाषा के संरक्षण तथा प्रसार भारती को मजबूत बनने की बात भी कही गई है।

13. संविधान के अनुच्छेद 356 में समुचित सुनिश्चित वामपंथी दल करेंगे ताकि राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के केन्द्र के निरंकुश अधिकारों पर रोक लग सके।

14. विदेशी नीति के बारे में वामपंथी दलों ने कहा कि वह अप्रसार सन्धि या व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सन्धि पर भारत के हस्ताक्षर न करने पर जोर देंगे, क्योंकि यह भारत के प्रति भेदभाव जनक है। वे दक्षिण एशियाई देशों से सहयोग बढ़ाना चाहेंगे तथा अपने को मजबूत करेंगे।

15. वामंपथी दल–बदल विरोधी कानून में संशोधन सुनिश्चित करेंगे ताकि अपनी पार्टी छोड़ने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए अपनी सीट छोड़ना अनिवार्य हो जायेगा।

16. घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री समेत सभी लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और अभियोग चलाने के लिए लोकपाल कानून बनाने का वायदा किया गया है।

17. घोषणा पत्र में कहा गया है कि वामंपथी दल पार्टियों और मित्रों के चुनाव खर्च को भी प्रत्याशी के खर्च में शामिल करने पर जोर देगी तथा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रावधान का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का मुद्दा उठाएगी।

18. मोर्चा सत्ता में आने पर प्रसार भारती निगम को मजबूत करने तथा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में एकाधिकारवाद को रोकने के लिए काम करेगी।

12वीं लोकसभा के चुनाव (फरवरी 1998) और मार्क्सवादी दल : फरवरी 1998 में सम्पन्न लोकसभा के चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को 32 सीटें प्राप्त हुई और दल कांग्रेस के नेतृत्व में गैर–भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत सरीखे पदाधिकारी कांग्रेस को भाजपा से कम खतरनाक दुश्मन बताने लगे।

13वीं लोकसभा के चुनाव (सितम्बर–अक्टूबर 1999) और मार्क्सवादी साम्यवादी दल : बार–बार खण्डित जनादेश के चलते 1996 से ही मार्क्सवादी पार्टी की अगुवाई राजनीति के मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा वाममोर्चा 1999 में अपनी जोड़ –तोड़ की क्षमता खो बैठा। 11वीं लोकसभा (1996–98) में वह सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे को पीछे से चलाने वाला सशक्त चालक था।

13वीं लोकसभा के चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने 72 प्रत्याशी खड़े किए और उसके 33 प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचे। दल को 5.38 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। मई 2001 में सम्पन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावों में मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व

में वाम मोर्चे को 294 में से 199 सीटों पर जीत हासिल हुई। अकेली मार्क्सवादी साम्यवादी दल को 143 सीटें प्राप्त हुई।

14वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2004) और मार्क्सवादी साम्यवादी दल : 14वीं लोकसभा के चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने 43 सीटें जीतकर 5.69 प्रतिशत मत प्राप्त किए।

15वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2009) और मार्क्सवादी साम्यवादी दल : 14वीं लोकसभा चुनावों के बाद माकपा विकास की जगह पतन के निम्नतम बिन्दु पर पहुंच गई और अब तक सबसे कम 16 सीटें (5.52 प्रतिशत मत) पाकर 15वीं लोकसभा में 8वीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, जबकि पिछली लोकसभा में यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ–साथ अपने गढ़ों–केरल और पश्चिम बंगाल के दूरस्थ क्षेत्रों में भी वामपंथियों का लाल रंग तेजी से फीका पड़ता जा रहा है।

16वीं लोकसभा के चुनाव (अप्रैल–मई 2014) और मार्क्सवादी दल : 16वीं लोकसभा चुनावों में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल को मात्र 9 सीटों के साथ 3.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

माकपा ने 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार को, 1989 में वी०पी० सिंह की सरकार को तथा 1996–97 में देवेगौड़ा एवं गुजराल सरकारों को बाहर से समर्थन दिया था। देश में सबसे लम्बे समय तक मुख्यमन्त्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नेता ज्योति बसु माकपा के ख्याति प्राप्त दिग्गज रहे।

14वीं लोकसभा का गणित कुछ ऐसा था कि यूपीए सरकार चलाने की कुंजी मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी नीत वाम मोर्चे के हाथों में आ गई। वाम मोर्चे के कुछ मिलाकर लोकसभा में 61 सदस्य थे और यूपीए की अल्पमत सरकार को वाम मोर्चा बाहर से समर्थन दे रहा था। मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता सोमनाथ चटर्जी स्पीकर पद पर आसीन हुए और पार्टी बाहर रहकर सरकार को यदा–कदा नीति निदेशन देती रहती। मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में वामपन्थी दलों ने मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर नकेल डाल रखी थी।

चुनाव परिणामों से वामपंथी दलों का 'किंगमेकर' बनने का सपना टूट गया। आज वे अप्रासंगिक हो गए हैं। निस्सन्देह केरल और पश्चिम बंगाल जैसे सुदृढ़ गढ़ों के ध्वस्त होने से वामपंथियों का मानमर्दन हुआ है। पश्चिम बंगाल में हार का कारण बने नन्दीग्राम और सिंगूर आन्दोलन। केरल के मुख्यमन्त्री अच्युतानन्दन और राज्य पार्टी के सचिव पिनारई विजयन के बीच झगड़ा केरल में हार की बड़ी वजह बना। झगड़े की शुरूआत 2006 में उस समय हुई जब शुरू में पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद अच्युतानन्दन ने चुनाव लड़ा। चुनावों के बाद अच्युतानन्दन मुख्यमन्त्री बन गए। वाम लोकतान्त्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के राज्य में सत्ता सम्भालने के साथ ही पिनारई के नेतृत्व वाले बहुसंख्यक धड़े और मुख्यमंत्री वी०एस० अच्युतान्दन के धड़ों में टकराव शुरू हो गया। अनुशासन स्थापित करने के लिए माकपा आलाकमान ने दोनों नेताओं को पार्टी से निलम्बित कर दिया था, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ।

पिछले लोकसभा चुनावों में राज्य की 20 में से 19 सीटें जीतने वाले वाममोर्चे के हाथ इस बार केवल चार सीटें लगी। लवलीन भ्रष्टाचार प्रकरण में राज्यपाल आर०एस० गवई द्वारा विजयन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से दोनों नेताओं के सम्बन्ध और खराब हो गए। पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के अनुमति देने के कदम को 'राजनीति से प्रेरित' बताया, दूसरी ओर अच्युतानन्दन ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पोलित ब्यूरो के पास दो ही रास्ते हैं या तो वह दोनों नेताओं से झगड़े खत्म कर मिल–जुलकर काम करने की घोषणा कराए या दोनों को ही पद से हटा दे।

जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, वामपंथी दुर्ग धीरे–धीरे ढहने लगा। वयोवृद्ध ज्योति बाबू जैसा नेता राज्य स्तर पर सक्रिय नहीं रहा। मुख्यमन्त्री अधिक शक्तिशाली हो गए, हालांकि पार्टी में ही उनकी नीतियों की आलोचना होती रही। मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और कारत के बीच भी गहरे मतभेद उभरे। सिंगूर और नन्दीग्राम के बाद लालगढ़ में माओवादी हिंसा मुख्यमन्त्री के नियन्त्रण से बाहर हो गई। तृणमूल और कांग्रेस के गठबन्धन ने 15वीं लोकसभा चुनावों में शानदार विजय प्राप्त कर उन्हें तगड़ा झटका दिया। अप्रैल–मई 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों

में विगत 34 वर्षों से सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को केवल 62 सीटें ही 294 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में मिल सकी। माकपा में दिक्कत यह है कि उनके पास ई०एम०एस० नम्बूदरीपाद या ए०के० गोपालन के कद का कोई नेता नहीं रहा। जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, इस पर भी पार्टी में चर्चा हो रही है। समय की पुकार है कि वामपंथी पार्टियां विश्व में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं, उनसे कदम मिलाकर आगे बढ़ें। साथ ही अपनी प्रासंगिकता कायम रखने के लिए माकपा, भाकपा, आरएसपी और फार्वर्ड ब्लॉक को एकजुटता बनाए रखनी होगी।

3.2.4 निष्कर्ष

पीछे किए गए वर्णन से स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दल गुटबाजी से ग्रस्त है, चाहे वे दल राष्ट्रीय स्तर के हो या राज्य स्तर के। इस गुटबाजी ने विघटन, दल–बदल व सिद्धांतहीन समझौतों को जन्म दिया है। इस गुटबाजी के कारण न केवल अनेक सरकारों का पतन हुआ, बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता का भी जन्म हुआ। इसलिए वर्तमान में एक प्रमुख मुद्दा यह है कि किस प्रकार देश में स्वस्थ दलीय प्रणाली की स्थापना की जाए।

3.2.5 प्रमुख शब्दावली

- गुटबन्दी : जब एक ही राजनैतिक दल के भीतर असन्तुष्ट सदस्यों द्वारा कई गुट बना लिए जाते है और आपस में संघर्ष करते रहते है।
- दल–बदल : दलों में अनुशासनहीनता के कारण जब कोई सदस्य जिस दल से वह चुनाव लड़ता है उसे छोड़कर किसी अन्य दल में सत्ता लोलुपता के कारण शामिल हो जाता है।
- अवसरवादिता : सत्ता प्राप्ति के लिए जब किसी राजनैतिक दल के द्वारा सिद्धान्तहीन समझौते किए जाते है।
- पंजीकरण : प्रत्येक राजनैतिक दल को चुनाव में भाग लेने के लिए चुनाव आयोग में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

3.2.6 महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भारत में राजनीतिक दलों के विकास का वर्णन कीजिए।
2. भारत में दल प्रणाली की वृद्धि एवं विकास की व्याख्या कीजिए।
3. स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में दलीय व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
4. भारत में दलीय प्रणाली के स्वरूप का वर्णन कीजिए।
5. भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् में दलीय व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करें।
6. भारतीय राजनीतिक प्रणाली में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका और दोषों का वर्णन कीजिए।
7. दल–बदल से आप क्या समझते है ? दल–बदल के कारण व भारतीय राजनीति पर इसके प्रभावों को समझाइयें। इस सम्बन्ध में 52वें व 91वें संविधान संशोधनों की समीक्षा कीजिए।
8. ''गुटबाजी भारतीय राजनैतिक दलों के अनिष्ट का कारण है।'' इस कथन की व्याख्या कीजिए।
9. भारत में दलीय प्रणाली की कोई चार विशेषताएँ लिखें।
10. क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण बताए।
11. राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता के लिए क्या शर्ते निर्धारित की गई है ?
12. दल–बदल के सम्बन्ध में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम का वर्णन कीजिए ?
13. वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दल है ?

3.2.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डब्ल्यू०एच० मोरिस जोन्स, ''दा गर्वनमैन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', बी०आई० पब्लिकेशन, 1974, दिल्ली
- डी०डी० बसु, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'', पैनटिश हॉल प्रैस, नई दिल्ली, 1994
- ग्रेनविल आस्टिन, ''इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1966

- रजनी कोठारी, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- रजनी कोठारी, ''कॉस्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- वी०पी० मेनन, ''दा ट्रास्फर ऑफ पॉवर इन इण्डिया'', प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रैस, 1957
- जे०आर० सिवाच, ''डायनामिक्श ऑफ इण्डियन गर्वनमेन्ट एण्ड पालिटिक्स'', स्र्टलिंग पविल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1985
- रजनी कोठारी, ''स्टेट एण्ड नेशनल बिल्डिंग'', एलाईड पब्लिशर्स, बाम्बे, 1976
- सी०पी० भाम्भरी, ''दा इण्डियन स्टेट : फिफटी ईयरस'', सिप्रा, नई दिल्ली, 1999
- के०आर० बाम्बवाल, ''दा फॉउडेशन ऑफ इण्डियन फैडरलिज्म'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- पी०आर० ब्राश,''पॉलिटिक्श ऑफ इण्डिया सिन्स इन्डिपेडन्श'', II एडिशन, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1994
- एन० चन्द्रहॉक, बियोंड सैक्युरेलिज्य : दा राइट्स ऑफ रिलिजियस माइन्योरटिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 1999
- ए० कौशिक, ''डैमोक्रेटिक कन्शर्न : दा इण्डियन एक्सपिरियस,'' एलैक, जयपुर, 1994
- बी०एल० फडिया, ''स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', वाल्यूम II, रेडियन्ट, नई दिल्ली, 1984
- एस० कविराज, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 1998

- अतुल कोहली, ''डेमोक्रेशी एण्ड डिशकनटैन्ट : इण्डियाज ग्रोईंग क्राईशिश ऑफ गर्वनएबिलिटि'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1991
- अतुल कोहली, एडिशन, ''दा सक्शैश ऑफ इण्डियाज डैमोक्रेशी'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 2001
- रजनी कोठारी, ''पार्टी सिस्टम एण्ड इलैक्शन स्टडीज'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- एम०वी० पायली, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998
- एम०वी० पायली, ''कान्टीट्यूशनल गर्वनमेण्ट इन इण्डिया'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1977
- अब्बास, ''इण्डियन गर्वनमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012
- प्रवीन कुमार झा, ''तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012

3.3 भारतीय राजनीति में दबाव समूह (Pressure Groups in Indian Politics)

3.3.1 परिचय

राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों का विशेष महत्व है। ऐसा भी समय था जब दबाव तथा हित समूहों को अनैतिक माना जाता था। किन्तु आधुनिक काल में दबाव तथा हित समूहों को लोकतन्त्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माना जाने लगा है। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में इन समूहों का महत्व और योगदान इतना अधिक बढ़ गया हैं कि इन्हें न केवल एक आवश्यक बुराई माना जाता है अपितु राजनीतिक क्रियाशीलता एवं सार्वजनिक नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य जनक तत्व भी स्वीकार किया जाता है।

3.3.2 उद्देश्य

- भारत में दबाव समूहों की उत्पत्ति कैसे हुई
- भारतीय राजनीति पर दबाव समूहों के क्या प्रभाव है
- क्या दबाव समूह भी राजनैतिक दलों की भांति लोकतन्त्र की सफलता के परिचायक है
- दबाव समूहों का वर्तमान समय में महत्त्व को जानना
- दबाव समूहों के द्वारा किन साधनों का प्रयोग किया जाता है अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतू

3.3.3 दबाव समूह : अर्थ एवं परिभाषा (Pressure Groups : Meaning and Definition)

दबाव समूहों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है हित समूह, गैर–सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, गुट आदि शब्दों का प्रयोग दबाव समूहों के लिए किया जाता रहा है। दबाव समूहों तथा अन्य संगठन में अन्तर आवश्यक है। सभी संगठन दबाव समूह नहीं होते और न हित समूह और दबाव समूह समान ही

है। प्रत्येक देश और समाज में सैंकड़ों हित समूह होते है, किन्तु जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो 'दबाव समूह' बन जाते है। व्यक्तियों के ऐसे समूहों को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका सम्बन्ध विशेष मामलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा करते है।

ओडिगार्ड के अनुसार, ''दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और वे घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सके।'' माइनर वीनर के शब्दों में, ''दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक, किन्तु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है।''

वास्तव में दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को, सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किये बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं तो दबाव गुट की श्रेणी में आयेंगे। दबाव समूहों की तुलना 'अज्ञात साम्राज्य' (Anonymous Empire) से की जाती है। जब इनके हित संकट में होते है अथवा जब इन्हें कतिपय स्वार्थो की प्राप्ति करनी होती है तो वे सक्रिय बन जाते है। अन्यथा वे हित समूहों के रूप में निष्क्रिय ही बने रहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूहों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है –

1. दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति–निर्माताओं को प्रभावित करते हैं।

2. दबाव समूहों का सम्बन्ध विशिष्ट मामलों (Special Issues) से होता है।
3. ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही ये चुनाव में भाग लेते है।
4. दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। जब उनके हित खतरे में होते है तो वे सक्रिय बन जाते है।

दबाव समूहों का महत्व (Importance of Pressure Groups)

दबाव समूहों का महत्व अत्यन्त व्यापक बनता जा रहा है। अधिकांश देशों में संविधान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां पर इस प्रकार के समूहों के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रधान की जायें। ये समूह प्रशासन को जन–इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दबाव समूहों की उपयोगिता तथा महत्व निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जा सकता है –

1. **जनतान्त्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह :** दबाव समूहों को लोकतन्त्र की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। विभिन्न देशों में दबाव समूह विभिन्न तरीकों से अपनी बात मनवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लोकमत को शिक्षित करके, आंकड़े इक्ट्ठे करके, नीति निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने अभीष्ट की प्राप्ति करना आज जनतान्त्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है।
2. **शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह :** प्रत्येक देश में सरकार तथा शासन के पास आवश्यक सूचनाएं पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। शासन की सूचनाओं के गैर–सरकारी स्त्रोतों के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। दबाव समूह आंकड़े इक्ट्ठे करते है, शोध करते हैं तथा सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते है।
3. **शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह :** आजकल दबाव समूहों का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में हैं जिनके पास इस दृष्टि से काफी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सकें।

4. **सरकार की निरंकुशता को सीमित करना :** प्रत्येक शासन–व्यवस्था में केन्द्रीकरण की प्रवृति बढ़ रही है और समूची शक्तियां सरकार के हाथों में केन्द्रित होती जा रही हैं। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को परिसीमित करते है।

5. **समाज और शासन में सन्तुलन :** दबाव समूहों के अस्तित्व का एक लाभ यह है कि विभिन्न हितों के बीच सन्तुलन सा बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशाली सत्ता उदित नहीं हो पाती। व्यापारी, श्रमिक, किसान, जातीय समुदाय, स्त्रियां और धार्मिक समुदाय आदि सभी अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते है, किन्तु उनको एक–दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप समाज और शासन में सन्तुलन स्थापित हो जाता है और यह सन्तुलन कर्ता प्रवृति (Countervailing Tendency) समाज को उस स्थिति से बचाती है जिसमें कि वह व्यक्तिगत समुदाय ही सारी शक्ति को हथिया लेते हैं।

व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन

दबाव समूह लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये समूह नागरिक और सरकार के बीच संचार साधन का कार्य करते हैं।

विधानमण्डल के पीछे विधानमण्डल का कार्य

दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषता तथा ज्ञानगुरूता के कारण ये विधि–निर्माता समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमण्डल के पीछे का विधानमण्डल कहा जाने लगा है।

दबाव समूह एवं राजनीतिक दल (Pressure Groups and Political Parties)

भारत की राज–व्यवस्था में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में अन्तर करना एक कठिन कार्य है। हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई है तथा दलों की संख्या इतनी अधिक है कि वे गुटीय राजनीति के उपकरण बन जाते हैं फिर भी राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में आधारभूत अन्तर है जो कि निम्नलिखित है –

1. राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं जबकि दबाव समूह चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं करते।
2. राजनीतिक दलों के विस्तृत उद्देश्य तथा कार्यक्रम होते हैं जबकि दबाव समूहों के संकुचित लक्ष्य होते हैं।
3. राजनीतिक दल विधानमण्डलों में कार्य करते है जबकि दबाव समूह विधान–मण्डलों के बाहर कार्य करते है।

दबाव समूहों के तरीके (Pressure Groups Techniques)

दबाव समूह अपने स्वार्थो के लिए उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते है। प्राचीन समय में उनके साधनों को बुरी नजर से तथा घृणा से देखा जाता था, किन्तु आज इन्हें बुरा नहीं माना जाता। दबाव समूह द्वारा अपनाये जाने वाले साधन इस प्रकार है :

प्रचार व प्रसार के साधन

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए और उद्देश्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वालों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दबाव समूह अथवा वर्गीय या आर्थिक हितों के प्रभावशाली संगठन प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और सार्वजनिक सम्बन्धों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग व प्रयोग करते हैं।

आंकड़े प्रकाशित करना

नीति–निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं, ताकि अपनी बात को पूरा करवा सके।

गोष्ठियाँ आयोजित करना

आजकल दबाव समूह विचार–विमर्श तथा वाद–विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार तथा भाषण मालाएं तथा वार्ताएं आयोजित करते हैं। इन गोष्ठियों में विधायिका तथा प्रशासिका के प्रमुख अधिकारियों को आमन्त्रित करते हैं और उन्हें अपने मत से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

संसद की लॉबियों में सक्रिया रहना

दबाव समूह अपने एजेण्टों के माध्यम से संसद के सभाकक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकीलों या एजेण्टों को नियुक्त करते हैं, जो अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। लॉबी क्षेत्र के एजेन्ट अपने न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा हेतु खुले उपायों का भी सहारा लेते हैं। विधायकों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और विचारधारा को बदलने का प्रयास करते हैं।

रिश्वत तथा बेईमानी

अपने ध्येय की रक्षा के लिए दबाव समूह रिश्वत व घूस देने में नहीं कतराते। बेईमानी के तरीकों का भी यथासम्भव प्रयोग करते हैं तथा विरूद्ध हितों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बदनाम करवा देते है।

लॉबीइंग

लॉबीइंग से अभिप्रायः है 'सरकार को प्रभावित करना'। यह एक राजनीतिक उपाय है। लॉबीस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। ये लॉबीस्ट तीन प्रकार के कार्य करते है – सूचनाएं प्रसारित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं तथा विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते है। लॉबीस्ट के माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं।

संसद सदस्यों के मनोनयन में रूचि

दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनावों में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हो। ऐसा कहा जाता है कि लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में संसद सदस्य दबाव समूहों की जेब में होते है। चुनावों में संसद सदस्य को पैसा चाहिए और जिसे दबाव समूह उपलब्ध कराते हैं। वे पैसे की खोज में दबाव समूहों के पास जाते हैं और बदले में उन्हें दबाव समूहों की मांग का समर्थन करना पड़ता है।

प्रदर्शन

कभी–कभी दबाव समूह उग्र आन्दोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। प्रायः प्रदर्शनकारी दबाव समूहों द्वारा ही ऐसे साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। आजकल तो दूसरे दबाव समूह भी हड़ताल, जुलूस, रैली आदि साधनों का आमतौर से प्रयोग करने में लगे है।

भारत में दबाव समूह (Pressure Groups in India)

स्वाधीनता से पहले अनेक हित समूह भारतीय राजनीति में क्रियाशील रहे हैं। ब्रह्म समाज, धर्मसभा, तरूण बंगाल ग्रुप, सत्यशोधक समाज, ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन आदि हित समूह समाज–सुधार के रूप में कार्यरत थे। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आमण्ड तथा कोलमेन का मत है कि दक्षिण एशिया के प्रारम्भिक आधुनिक समुदाय यथार्थ में हित समूह ही थे न कि राजनीतिक दल। कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि का ध्येय तो मात्र मध्यम वर्ग के हितों की ही अभिवृद्धि करना था और इसलिए इन्हें प्रारम्भिक हित समूह कहा जा सकता है। बाद में कांग्रेस एक राष्ट्रीय आन्दोलन में परिवर्तित हो गयी। हित समूह से राष्ट्रीय आन्दोलन में परिवर्तन की इस घटना ने भारतीय राजनीति में उदित होने वाले दबाव समूह के स्वरूप और ढांचे को अत्यधिक प्रभावित किया है। कांग्रेस को एक जन आन्दोलन के रूप में संगठित करने के ध्येय से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कृषक संघों, श्रमिक संघों, छात्र समुदायों आदि का निर्माण किया। अतः यह कहना उचित होगा कि स्वाधिनता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिससे भांति–भांति के हित समुदाय संगठित होकर अपने हितों की अभिवृद्धि करते थे। मुस्लिम समाज के हितों की अभिवृद्धि के लिए मुस्लिम लीग भी इस काल में काफी सक्रिय रही है। मुस्लिम लीग के प्रभाव को सन्तुलित करने के लिए ही हिन्दू महासभा की स्थापना की गयी थी।

दबाव समूहों के प्रकार (Kinds of Pressure Groups)

भारत में क्रियाशील दबाव समूहों को आयण्ड तथा पॉवेल मण्डल के आधार पर चार समूहों में विभाजित किया जा सकता है –

1. संस्थात्मक दबाव समूह (Institutional Pressure Groups)
2. समुदायात्मक दबाव समूह (Associational Pressure Groups)
3. असमुदायत्मक दबाव समूह (Non-Associational Pressure Groups)
4. प्रदर्शनात्मक दबाव समूह (Anomic Pressure Groups)

(1) भारतीय राजनीति में संस्थापक दबाव समूह (Institutional Pressure Groups)

संस्थानात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमण्डलों, नौकरशाही आदि में सक्रिय रहते है। इनके औपचारिक संगठन होते हैं, ये स्वायत रूप में क्रियाशील रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं की छत्रछाया में पोषित होते हैं, ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ–साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते है।

भारतीय राजनीति समूहों में इस स्वरूप के संस्थानात्मक दबाव समूहों में कांग्रेस समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड मुख्यमन्त्री क्लब, केन्द्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही को लिया जा सकता है।

कांग्रेस न केवल भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है अपितु भारतीय सरकार का नेतृत्व भी लम्बे समय तक इस दल के हाथों में रहा है। भारत भी राजनीति कांग्रेस के इर्द–गिर्द घूमती है और कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस 'हाईकमान' है। राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में 'हाईकमान' की स्थिति बेताज के सम्राट की सी थी। कांग्रेस के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय 'हाईकमान' यानि कार्यसमिति द्वारा ही लिये गये तथा उनका क्रियान्वयन भी बड़ी तत्परता से हुआ। स्वाधीनता के बाद वह दलीय 'हाईकमान' हमारी राजनीतिक धुरी का केन्द्र बिन्दु बन गया जिसके चारों ओर सरकार, संसद एवं मन्त्रिमण्डल चक्कर लगाने लगे। यदि 'हाईकमान' को स्वातन्त्र्योतर भारत का किंग मेकर्स कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री नेहरू के दिवंगत होने के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधानमन्त्री पद पर आरूढ़ कराने में कार्य समिति की सक्रिय भूमिका रही।

कांग्रेस संसदीय बोर्ड भी प्रभावशील दबाव समूह रहा है। संसदीय बोर्ड का अपना पृथक कार्यालय तथा संगठन हैं कांग्रेस दल के महत्वपूण्र नेता बोर्ड के सदस्य

होते हैं प्रारम्भ में कार्यसमिति की तुलना में संसदीय बोर्ड अत्यन्त प्रभावहीन संस्था थी, किन्तु धीरे–धीरे स्वतन्त्रता के बाद राजनीति में बोर्ड ने अपनी शक्तियों में अप्रतिम वृद्धि कर ली। सन् 1957 में संसदीय बोर्ड ने नेहरू की उपेक्षा करते हुए डॉ० राधाकृष्णन् के स्थान पर डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया।

राजनीतिक निर्णय–प्रक्रिया में मुख्यमन्त्रियों की भूमिका भी दबाव समूह के ही समान रही है। दंबग और शक्तिशाली मुख्यमन्त्री केन्द्रीय स्तर पर दल तथा सरकार के निर्णयों को लगातार प्रभावित करते रहे है। गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो चौथे आम चुनाव के बाद आपस में मिल–जुलकर केन्द्रीय सरकार को प्रभावित करते थे। अपने राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए आजकल सभी राज्य नयी दिल्ली में उच्च स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जिन्हें 'राज्यलॉबी' कहना अनुचित नहीं होगा। नेहरू के उत्तराधिकारी के चयन में दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संगठित भूमिका रही और 15 जनवरी 1966 को अनेक मुख्यमंत्रियों ने शास्त्री के उत्तराधिकारी के चयन में श्रीमती गांधी का खुलकर समर्थन किया।

कांग्रेस दल की केन्द्रीय चुनाव समिति भी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जन निर्वाचनों में प्रत्याशियों के चयन का भार चुनाव समिति पर ही डाला जाता है और चुनाव समिति हजारों ऐसे प्रत्याशियों का साक्षात्कार करती है जो दलीय टिकट पाने के इच्छुक होते हैं। शास्त्री और मोरारजी ने चुनाव समिति में सक्रिय रूप से कार्य किया था। सिण्डिकेट ने शास्त्री का प्रधानमन्त्री चुनाव में इसलिए पक्ष लिया था कि उन्होंने चुनाव समिति में कार्य करते हुए सिण्डिकेट समर्थक लोगों की मदद की थी।

नौकरशाही भी संगठित होकर राज–व्यवस्था में क्रियाशील है। उच्च सेवा में कार्यरत अधिकारियों के अपने संघ है जो उनके हितों की सुरक्षा करते है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ऐसा ही एक संघ है जिसे भारतीय सिविल तथा प्रशासनिक सेवा संघ कहा जाता है। यह अखिल भारतीय संघ है जिसकी शाखाएं राज्यों की राजधानियों में भी है। प्रो० सी०पी० भाम्भरी का विचार है कि, ''यदि राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता हैं तो नौकरशाही के दबाव में वृद्धि हो जाती है।''

(2) भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह

(Associational Pressure Groups in Indian Politics)

समुदायक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। ये अपने आधुनिक परिवेश में भारतीय राजनीति में सक्रिय है। इनमें प्रमुख हैं, श्रमिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, कृषक संगठन इत्यादि।

श्रमिक संगठन श्रमिकों के संघ हैं जो सामूहिक कार्यो द्वारा अपने हितों की रक्षा करते है। स्वाधीनता से पूर्व भी श्रमिक संघ कार्यरत थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता श्रमिक संघों में सक्रिय रहे थे। राष्ट्रीय आन्दोलन ने श्रमिकों को अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्तमान में मजदूर संघों का सम्बन्ध राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। भाजपा के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ, मार्क्सवादी दल के नेतृत्व में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस के नेतृत्व में इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्रियाशील है। सभी मजदूर संघों का ध्येय मजदूरों के आर्थिक राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। मजदूर संघों ने सरकारी नीतियों को आंशिक रूप से ही प्रभावित किया है, वे तो राजनीतिक दलों की भुजाएं मात्र है और उनका नेतृत्व भी राजनीतिज्ञों के हाथों में है न कि श्रमिक नेताओं के हाथों में।

व्यापारियों के हित समूहों में आधुनिक दबाव समूह के रूप में कार्य करने की सामर्थ्य सबसे अधिक है। व्यापारियों के संघ कई प्रकार के हैं – जैसे उद्योग समूह, साम्प्रदायिक समूह, क्षेत्रीय समूह, अखिल भारतीय समुदाय तथा बड़े व्यावसायिक घराने। व्यापारियों के दबाव समूह संगठित और अधिकारिक रूप से साधन सम्पन्न है। इनके द्वारा अपनायी जाने वाली दबाव की आधुनिक तकनीकों को देखते हुए इनकी तुलना पश्चिमी देशों में पाये जाने वाले दबाव समूहों से की जा सकती है। इनके समाचार पत्र और पत्रिकाएं है, फोरम ऑफ फ्री एण्टरप्राइज द्वारा अपने हितों का प्रचार करते हैं, राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देते हैं, मन्त्रियों तथा विभागीय सचिवों से

व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा संसद सदस्यों को अपने हितों से आगाह करते है।

व्यापारियों के संगठनों में आजकल फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (F.I.C.C.I.) अत्यन्त आधुनिक और प्रभावशाली दबाव समूह माना जाता है। लगभग एक लाख से भी ज्यादा छोटी बड़ी व्यावसायिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न तरीकों से फेडरेशन व्यावसायिक दृष्टिकोणों और भागों को सरकार के सम्मुख रखता है। फेडरेशन का प्रतिवर्ष प्रधानमन्त्री द्वारा उद्घोषित किया जाता है। अन्य मन्त्रिगण जैसे वित्तमन्त्री और वाणिज्य मन्त्री भी फेडरेशन की वार्षिक बैठकों में भाग लेते है। बड़े–बड़े अधिकारी और सचिव भी बैठकों में भाग लेते है। विभिन्न अवसरों पर प्रस्ताव पारित करके फेडरेशन ने सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। यह बात सच है कि अनेक अविवादास्पद विधेयकों के निर्माण तथा सुधार में फेडरेशन के निर्माण तथा सुधार में फेडरेशन ने सरकार को प्रभावित किया है किन्तु प्रमुख आर्थिक प्रश्नों जैसे आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक उधम नीति, बैंक राष्ट्रीयकरण आदि पर फेडरेशन का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार की अनेक परामर्शात्मक समितियों में फेडरेशन के प्रतिनिधि भाग लेते है और आज फेडरेशन देश में संगठित दबाव समूह के रूप में संगठित दबाव समूह के रूप में प्रभावशाली भूमिका अदा कर रही है।

कृषकों के हित समूह भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होते जा रहे है। सन् 1936 से ही अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha) एक हित समूह के रूप में सक्रिय रही है किन्तु सभा पर साम्यवादी दल का नियन्त्रण रहा है। आज भी किसान सभा साम्यवादी दल की भुजा के रूप में कार्यरत है। अन्य दलों ने भी अपने–अपने कृषक, संगठन बनाये है, जैसे समाजवादी दल की हिन्द किसान पंचायत तथा वामपंथी दलों की संयुक्त किसान सभा कभी–कभी सक्रिय हो जाती है। वास्तव में भारत सरकार की कृषि नीतियों को प्रभावित करने में किसान संघों की प्रभावशाली भूमिका नहीं रही है। फिर भी यह तो मानना पड़ेगा कि आज तक किसान लॉबी के प्रभाव के कारण ही सरकार कृषि पर आय कर नहीं लगा पायी। पंजाब, उत्तर प्रदेश व

हरियाणा सरकार की नीतियों पर किसान लॉबी का प्रभाव रहा है। आजकल पंचायतों का राजनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा है और पंचायतों पर किसानों का प्रभाव हैं, अतः भविष्य में कृषक लॉबी अत्यन्त शक्तिशाली हो सकती है।

स्वतन्त्रता संग्राम में युवा वर्ग सक्रिय रहा है और आज भी हमारे विद्यार्थी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है। विद्यार्थी संगठनों का सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक दलों से रहा है और राजनीतिक दलों ने विद्यार्थी संगठनों का दुरूपयोग किया है। विद्यार्थी समुदाय श्रमिक संघों के तौर–तरीके अपनाते है और कभी–कभी यह मान लेते है कि उनके हित शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के हितों से टकराते है। विद्यार्थी परिषद् का सम्बन्ध भाजपा से है तो नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेण्टस संगठन कांग्रेस दल का है। स्टूडेण्टस फेडरेशन का सम्बन्ध साम्यवादी दल से है। इन संघों की आर्थिक सहायता विभिन्न राजनीतिक दल ही करते हैं और कभी–कभी राजनीतिक दलों के आह्वान पर ये संगठन हड़ताल, घेराव, बन्द आदि का सहारा भी लेते है।

सरकारी कर्मचारियों के अपने–अपने विशिष्ट संगठन हैं। ये संगठन अपने हितों के संरक्षण के लिए तथा प्रशासन द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करते है। इनमें 'ऑल इण्डिया रेलवे मैने एसोसिएशन', ऑल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन आदि प्रमुख है। विगत वर्षो में कर्मचारियों के दबाव समूहों ने वेतन संशोधन तथा मंहगाई भत्ते की जोरदार मांग रखी है। अपनी मांगों के समर्थन में यदाकदा ये समुदाय हड़तालें और बन्द भी आयोजित करते हैं। वास्तव में ये दबाव समूह सरकार की वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी नीति को प्रभावित करते रहे है।

कई प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन भी अपने संघों के माध्यम से विशिष्ट हितों की अभिवृद्धि में लगे रहते है। इन संघों में हिन्दू सभा, न्यायस्थ सभा, भारतीय ईसाईयों की अखिल भारतीय परिषद्, पारसी ऐसोसिएशन आदि प्रमुख है। इनकी मांगे विशिष्ट है और वे उसी परिप्रेक्ष्य में सरकारी नीतियों को प्रभावित करते है।

(3) असमुदायात्मक दबाव समूह

(Non-Associational Pressure Groups)

असमुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अनिवार्य करते हैं, इनके संगठित संघ नहीं होते और इन परम्परावादी दबाव समूहों में साम्प्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, गांधीवादी समुदाय, भाषागत समुदाय आदि प्रमुख है।

साम्प्रदायिक आधार पर गठित समुदायों में मुस्लिम मजलिस, विश्व हिन्दू परिषद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जमायत–ए–एस्लाम–ए–हिन्द, जमायत–ए–इस्लाम आदि प्रमुख है। जैन सभाएं, चर्च, वैष्णव समाज आदि भी इसी श्रेणी में आते है। इनकी अपनी पृथक पाठशालाएं, महाविद्यालय, छात्रावास आदि है। ये अपनी पृथकता बनाये रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहते है। ये स्थानीय और राज्य स्तर के प्रशासकों से लाभान्वित होने का प्रयास करते है। चुनावों के दिनों में ये गुट सक्रिय हो जाते है और प्रत्याशियों की जीत बहुत कुछ इनके रूख पर निर्भर करती है।

जातिगत समूहों ने प्रारम्भ से ही भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। आजादी के बाद की राजनीति में जाति का महत्व बढ़ा है। अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की प्राप्ति में जातियाँ संगठित होने लगी और विभिन्न राज्यों में जातिगत राजनीति का अभ्युदय हुआ। जातीय हितों के आधार पर विभिन्न दबाव गुटों का जन्म हुआ और इन जातियों ने संगठित होकर राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया जिससे उनमें राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय राजनीति के प्रति रूचि उत्पन्न हुई। रूडेलफ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जाति पर आधारित समूहों का निर्माण राजनीतिक आधुनिकरण के आदर्शो को स्थापित करने और संसदीय जनतंत्र के कुशल संचालन में सहायक हुआ है।

अनेक गांधीवादी संगठन भी शासकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वसेवा संघ, सर्वोदय, भूदान खादी ग्रामोद्योग संघ, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान आदि ऐसे ही समूह हैं। इनका नेतृत्व विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेकर, दादा धर्माधिकारी जैसे प्रखर व्यक्तित्व वाले राष्ट्र के जाने माने सन्त करते रहे है।

सांसद विधानमण्डलों और मन्त्रीगण इनको आधार की दृष्टि से देखते है और उनकी सम्मतियों और सुझावों का राजनीति में आदर कर राष्ट्रपिता बापू के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि गांधीवादी गुट अपने स्वार्थो एवं हितों के लिए नहीं अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्यरत है।

भाषा के आधार पर भी दबाव समूह हमारी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान भाषायी राज्य शक्तिशाली भाषायी दबाव गुटों की राजनीति के ही परिणाम है। भाषीय दबाव गुटों की मांग को पूरा करने के लिए ही गुजरात, तमिलनाडू, पंजाब तथा बंगाल को भाषायी टापू का रूप दिया गया। भाषायी गुटों की मांग को पूरा करने के लिए यदा–कदा नये राज्यों का निर्माण करना पड़ा है।

इस प्रकार असमुदायात्मक दबाव समूह भारतीय राजनीति में काफी प्रभावशाली रहे हैं। बड़े–बड़े मसलों पर सरकारी नीतियों और निर्णयों को न केवल प्रभावित ही किया है अपितु कभी–कभी सरकार को इनके दबाव के कारण अपनी नीतियों में आमूल–चूल परिवर्तन भी करना पड़ा है। ये समुदाय जितने जागरूक हैं, इनके संगठन उतने मुखर नहीं है।

(4) प्रदर्शनकारी दबाव समूह (Anomic Pressure Groups)

प्रदर्शनकारी दबाव समूह वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या दंगे और अन्य आक्रामक रवैया अपना लेते है। प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही कई प्रकार के है, जैसे जनसभाएं गली–कूचा बैठक पद यात्रा रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक सम्पति को हानि पहुंचाना, अग्निदाह, आवागमन अवरूद्ध करना, घेरना आदि। इनके द्वारा संगठित गुट न केवल अपना असन्तोष व्यक्त करते है अपितु सरकार के निवेश तथा निर्गत ढांचे को प्रभावित करते हुए नियम निर्माण (Rule Making) नियम प्रयुक्त (Rule Application) एवं नियम– अधिनियमनयन (Rule Adjudication) के स्वरूप को भी छू लेते है। ये गुट किसी विशेष नीति को बनवाने अथवा बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालते है।

भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी गुटों के उदय का कारण यह माना जाता है कि सरकार लोगों की न्यायोचित मांगों की ओर ध्यान नहीं देती और राजनीतिक दल सभी प्रकार के लोगों की मांगों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं करते। जब शान्तिपूर्ण मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो दबाव समूह वैधानिक ढांचे से हटकर कार्य करना प्रारम्भ कर देते है। मायरन वीनर के अनुसार, ''भारत में सरकार दबाव गुटों की मांगों की तरफ उस समय तक ध्यान नहीं देती जब तक कि जन–आंदोलन के माध्यम से वे अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते। सरकार मांगों को इसलिए नहीं मानती कि वे न्यायोचित हैं अपितु इसलिए मानती है कि मांग करने वाले गुट ने उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया हैं।

स्वाधीनता के बाद अनेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदर्शनकारी गुटों के दबाव के फलस्वरूप लिये गये हैं। इन्हीं के दबाव के फलस्वरूप मद्रास, बम्बई व पंजाब राज्यों का विभाजन हुआ। पूर्वाचल में नये राज्यों का निर्माण करना पड़ा। सरकार की गौवध नीति के विरोध में साधुओं ने अनशन किया एवं हिन्दी भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी के विरोध में सत्याग्रह किया। बंगाल में नक्सलावादी गुट का उदय हुआ। जिसने हिंसा, हत्या, लूटपाट आदि साधनों का प्रयोग करते हुए सरकार का भूमि–सुधार भूमि के न्यायोचित वितरण तथा भू–श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनकारी दबाव गुटों में आजकल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (कश्मीर) खालिस्तान कमाण्डो फोर्स, बब्बर खालसा, सिख स्टूडेण्टस् फेडरेशन (पंजाब), उल्फा (असम) के नाम उल्लेखनीय है।

दबाव समूहों की विशेषताएं (Features of Pressure Groups)

प्रो० मायरन वीनर की रचना 'पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी' भारत में दबाव राजनीति का विश्लेषण करने वाली प्रथम वैज्ञानिक रचना है। वीनर के बाद स्टेनली कोचनीक का ग्रन्थ 'बिजनेश एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया' भारतीय राजनीति में व्यापारियों के दबाव समूहों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है। वीनर तथा कोचनीक के निष्कर्षों के अनुसार भारत में दबाव व हित समूहों की निम्नलिखित विशेषताएं है –

1. भारतीय राजनीति में परम्परावादी दबाव समूह जैसे जाति, समुदाय, धर्म और प्रादेशिक गुट निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। अधिकांश राजनीतिक दल जाति और समुदाय के आधार पर ही अपने अनुयायियों को संगठित करते हैं। जातीय समुदाय को आज भी भारत में 'बेताज के सरताज' कहा जा सकता है।
2. अधिकांश समुदायात्मक दबाव समूहों पर राजनीतिक दलों का नियन्त्रण है। उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथों में है और उन्हें 'दल के पीछे दलीय सत्ता' कहा जा सकता है, किन्तु यह भी एक विचित्र सत्य है कि प्रमुख व्यापार उद्योग ही समूह दलीय नियन्त्रण से स्वायत हैं।
3. स्वाधीनता के बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूहों की सीमित भूमिका द्रष्टव्य है। इसके दो कारण थे – प्रथम केन्द्र और राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व था और दूसरा सरकार पर कांग्रेस दल का एकाधिकार था। जैसे–जैसे शक्तिशाली नेतृत्व का ह्रास होता गया और कांग्रेस का एकाधिकार टूटता गया वैसे–वैसे राजनीति में दबाव समूहों का प्रभाव भी बढ़ता गया। प्रारम्भ में दबाव गुटों की नकारात्मक भूमिका रही। वे इस बात पर बल देते रहे कि सरकार राष्ट्रीयकरण न करे और भूमि पर कर में अभिवृद्धि न करे। किन्तु, वर्तमान में अनेक दबाव गुट सकारात्मक रूप से अपने हितों के प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्माण में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं।
4. विगत कुछ वर्षों से केन्द्रीय सकार की नीतियों पर भारतीय संघ के राज्यों का भी प्रभाव पड़ने लगा है और राज्य संगठित दबाव डालने का प्रयास करने लगे हैं। राज्य लॉबीइग के लिए अधिकारी रखते है। जिसके वे संसद सदस्यों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 262 तथा 263 को अन्तर्गत केन्द्रीय संसद को 'अन्तर्राज्यीय नदी–पानी विवाद' तथा 'सीमा विवाद' हल करने की शक्ति प्राप्त हैं और कई राज्यों के बीच ऐसे उग्रतर विवाद उलझे पड़े है। अतः दबाव और लॉबीइग की राजनीति द्वारा वे अपना हित वर्धन करने में लगे है।

5. राजनीतिक दलों के विद्यमान संस्थागत दबाव समूह ने दलीय व्यवस्था को ही डांवाडोल करने की चेष्टा की है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के कार्यरत गुटों ने बहुमत सरकार की कार्य प्रणाली को ही चुनौती दी है।
6. समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी दबाव समूह हिंसा, जन–आन्दोलन, हड़ताल, अनशन और सत्याग्रह जैसे असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते नहीं हिचकिचाते।
7. भारत में दबाव समूह मुख्यतया प्रशासकों को प्रभावित करने में लगे रहते है न कि नीति–निर्माण को।
8. भारत में आम धारणा दबाव समूहों की कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यह अच्छा नहीं माना जाता कि हित समूह नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करें। ऐसा भी माना जाता है कि यदि एक बार सरकार दबाव गुटों के आगे झुक जाती है तो फिर कोई भी निर्णय सार्वजनिक हित में नहीं लिया जा सकता।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत में असमुदायात्मक दबाव गुट सर्वाधिक प्रभावशाली है और उनमें भी जाति का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद संस्थानात्मक दबाव समूहों ने राजनीति को प्रभावित किया है। समुदायात्मक दबाव समूहों में केवल 'फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डेस्ट्री' को ही आधुनिक दबाव समूह माना जा सकता है। भारतीय दबाव गुटों के स्वरूप से यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि परम्परावादी समाज में आधुनिक दबाव समूह विकसित नहीं हो सकते। भारत में परम्परावादी दबाव समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए चुनाव और राजनीतिक दलों का प्रयोग करते हैं जबकि आधुनिक दबाव समूह मन्त्रिमण्डल और नौकरशाही हो अपनी नवीनतम शोध से प्रभावित करते हैं। यदा–कदा प्रदर्शनकारी दबाव समूह भी सक्रिय हो जाते है। ऐसे गुट कभी–कभी राज–व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं।

दबाव समूहों की आलोचना (Criticism of Pressure Groups)

विगत वर्षो में दबाव की राजनीति की आलोचना और वाद–विवाद का विषय रही है। आलोचकों ने यहां तक कह डाला है कि ये गुट नवजात भारतीय लोकतन्त्र

पर खतरे की काली घटाओं के रूप में मंडरा रहे है। ये सदैव, अपने घटिया स्वार्थो की पूर्ति हेतु सार्वजनिक कल्याणों को तुच्छ निगाह से देखते रहे। इन दबाव गुटों ने हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अनेक घृणित उपायों को आश्रय दे रखा है।

भारत में दबाव समूहों की कार्य–शैली को गुप्त रखा जाता है और जन–सामान्य को उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती वे गुप्त ढंग से अधिकारियों और नीति–निर्माताओं से परामर्श करते हैं। विद्यायिका के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे खुले रूप से यह प्रकट करें कि उनका सम्बन्ध उनसे किन–किन गुटों से है और उन्हें उनसे किस प्रकार का लाभ मिलता है। कभी–कभी दबाव गुट रिश्वत देकर भी प्रशासकों को अपने स्वार्थो के अनुकूल बनाने में नहीं हिचकिचाते। दबाव समूहों की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वे सही मांग प्रस्तुत कर रहें हैं अपितु इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उनका गुट कितना विशाल और वित्तीय साधनों से सम्पन्न है। दबाव समूह सरकार के विरूद्ध हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। हिंसा और जन–आन्दोलन से अराजकता उत्पन्न होती है और ऐसी अव्यवस्था राज–व्यवस्था के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न कर देती हैं। सफेदपोश सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के लिए तो हड़ताल, प्रदर्शन करना एक फेंशन हो गया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अचानक कार्य बन्द कर देने से प्रशासन ठप हो जाता है और आम जनता को काफी असुविधा होती है। कभी–कभी तो दबाव गुट ऐसी दायित्वहीन मांगे भी प्रस्तुत करते हैं जिनको पूरा करना सरकार के लिए असम्भव होता है।

इन आलोचनाओं में सत्य का अंश अवश्य हैं, किन्तु किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दबाव व हित समूहों से छुटकारा पाना सम्भव नहीं है। वर्तमान लोकतन्त्रीय व्यवस्था में दबाव समूह जब शासक के निर्माता (King Makers) बन बैठे हैं तो हमारी वास्तविक समस्या यह है कि उन्हें सही दिशा में किस प्रकार मोड़ा जाए।

हमारी राज–व्यवस्था की स्थिरता और समुच्चय शक्ति को बढ़ाने के लिए दबाव समूहों को उसमें समुचित निर्णय दिया जाना चाहिए। हमारी राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में दबाव गुटों को स्थान देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं –

1. नीति निर्माण के विभिन्न स्तरों पर शासन को प्रभावित हितों से परामर्श करने की स्थायी और अधिकाधिक आदत डालनी चाहिए।
2. राज्य सभा और विधान–परिषदों में हित समूहों के प्रतिनिधियों को अधिकाधिक स्थान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में वर्तमान संविधान में अन्य संशोधन किया जा सकता है।
3. संसद की परामर्शदात्री समितियों में हित समूहों के सदस्यों को सह–सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे राजव्यवस्था की परिपक्वता में वृद्धि होगी।
4. सरकार के विभिन्न विभागों के साथ कार्यरत प्रतिनिधियों, परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों का मनोनयन सरकार द्वारा न होकर हित समूह द्वारा किये जाने की परम्परा डाली जानी चाहिए।
5. अधिकांश निर्णय स्थानीय जनता को प्रभावित करते हैं और जिलाधीश व उप–जिलाधीश स्थानीय प्रशासक होते हैं। अतः सामान्य जनता और स्थानीय प्रशासकों के मध्य गहन सम्पर्क सूत्र होना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों को किसी भी निर्णय के क्रियान्वयन से पूर्व स्थानीय हितों से परामर्श करने की आदत डालनी चाहिए।

3.3.4 निष्कर्ष

भारत में दबाव समूहों के अस्तित्व का सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालने का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है इस उद्देश्य में केवल बड़े–बड़े औद्योगिक और व्यापारिक समूह ही सफल होते हैं। जहां तक व्यापारिक संघो या व्यावसायिक दबाव समूहों का सम्बन्ध है ऐसे समूह केवल अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए और अपनी सीमित मांगों की पूर्ति के लिए ही सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। व्यवहार में सरकार की नीतियां ऐसे दबाव समूहों द्वारा विशेष करके प्रभावित नहीं होती, क्योंकि न तो सरकार ऐसे दबाव समूहों के समर्थन पर अधिकतर निर्भर करती है और न ही ऐसे दबाव समूह इस स्थिति में होते हैं कि वो सरकार को अपने पक्ष में झुकने के लिए विवश कर सकें। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे दबाव समूहों का भारत में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का

अभिप्राय यह है कि भारत की राजनीति मुख्य रूप में उद्योगपतियों के समूहों, बड़े–बड़े किसानों के समूहों और व्यापरियों के प्रभावों के अधीन रहती है। संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि भारत में दबाव समूह इतने अधिक प्रभावशाली रूप से संगठित नहीं हैं जितने कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रगतिशील पाश्चात्य देशों में पाए जाते हैं।

3.3.5 मुख्य शब्दावली

- लॉबीइंग : सरकार को प्रभावित करना
- अराजकता : दबाव समूहों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा समाज में अराजकता का माहौल यानी अशान्ति पैदा करना।
- परम्परावादी दबाव समूह : ऐसे दबाव समूह, जाति, समुदाय, धर्म और प्रादेशिक आधार पर संगठित होते है।

3.3.6 महत्वपूर्ण प्रश्न

1. दबाव समूहों की परिभाषा बताए। इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।
2. भारत में भिन्न–भिन्न प्रकार के दबाव समूहों का वर्णन करे तथा उनकी कार्यविधियों का भी विवेचन करें।
3. दबाव समूह का क्या अर्थ हैं ? दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किन –किन साधनों का प्रयोग करते हैं ? वर्णन कीजिए।
4. दबाव समूह अदृश्य सरकार माने जाते है ? इस कथन की समीक्षात्मक परीक्षा कीजिए।
5. दबाव समूह क्या होते है ? भारतीय राजनीति व्यवस्था में मुख्य दबाव समूहों की भूमिका का वर्णनकीजिए।
6. दबाव समूह के विभिन्न प्रकार बताइए।
7. दबाव समूह किन–किन साधनों का प्रयोग करते है ?
8. चार महत्त्वपूर्ण भारतीय व्यापारिक दबाव समूहों के नाम बतायें।

3.3.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डब्ल्यू०एच० मोरिस जोन्स, ''दा गर्वनमैन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', बी०आई० पब्लिकेशन, 1974, दिल्ली

- डी०डी० बसु, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'', पैनटिश हॉल प्रैस, नई दिल्ली, 1994
- ग्रेनविल आस्टिन, ''इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1966
- रजनी कोठारी, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- रजनी कोठारी, ''कॉस्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- वी०पी० मेनन, ''दा ट्रास्फर ऑफ पॉवर इन इण्डिया'', प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रैस, 1957
- जे०आर० सिवाच, ''डायनामिक्श ऑफ इण्डियन गर्वनमेन्ट एण्ड पालिटिक्स'', स्र्टलिंग पविल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1985
- रजनी कोठारी, ''स्टेट एण्ड नेशनल बिल्डिंग'', एलाईड पब्लिशर्स, बाम्बे, 1976
- सी०पी० भाम्भरी, ''दा इण्डियन स्टेट : फिफटी ईयरस'', सिप्रा, नई दिल्ली, 1999
- के०आर० बाम्बवाल, ''दा फॉउडेशन ऑफ इण्डियन फैडरलिज्म'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- पी०आर० ब्राश,''पॉलिटिक्श ऑफ इण्डिया सिन्स इन्डिपेडन्श'', II एडिशन, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1994
- एन० चन्द्रहॉक, बियोंड सैक्युरेलिज्य : दा राइट्स ऑफ रिलिजियस माइन्योरटिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 1999
- ए० कौशिक, ''डैमोक्रेटिक कन्शर्न : दा इण्डियन एक्सपिरियस,'' एलैक, जयपुर, 1994
- बी०एल० फडिया, ''स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', वाल्यूम II, रेडियन्ट, नई दिल्ली, 1984

- एस० कविराज, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 1998
- अतुल कोहली, ''डेमोक्रेशी एण्ड डिशकनटैन्ट : इण्डियाज ग्रोईंग क्राईशिश ऑफ गर्वनएबिलिटि'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1991
- अतुल कोहली, एडिशन, ''दा सक्शैश ऑफ इण्डियाज डैमोक्रेशी'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 2001
- रजनी कोठारी, ''पार्टी सिस्टम एण्ड इलैक्शन स्टडीज'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- एम०वी० पायली, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998
- एम०वी० पायली, ''कान्टीट्यूशनल गर्वनमेण्ट इन इण्डिया'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1977
- अब्बास, ''इण्डियन गर्वनमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012
- प्रवीन कुमार झा, ''तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012

3.4 जनमत (Public Opinion)

3.4.1 परिचय

बोलचाल की भाषा में जनमत का अर्थ जनता के मत से है, परन्तु सम्भवतः ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस पर समूची जनता का एक ही दृष्टिकोण हो। अतः यह कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में बहुमत को ही जनमत माना जाता है। यथार्थ में ऐसा भी कार्य नहीं होता क्योंकि अधिकांश जनता में चिन्तन और मनन की क्षमता कम होती है, अतः महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। वस्तुतः जिसे लोग अपना मत बताते है, वह उनका अपना मत नहीं होता, वह तो वास्तव में उनका दूसरों से उधार लिया हुआ तथा दूसरों के मुंह से सुना–सुनाया हुआ मत होता है। समाज में सोचने का काम तो कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों के द्वारा सम्पादित होता है। अतः जब इनके द्वारा विचारा गया मत समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वही जनमत के नाम से जाना जाने लगता है।

जनमत की कसौटी सार्वजनिक हित को बताया गया है। जिस मत की रचना किसी वर्ग विशेष अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष के हितों को ध्यान में रखकर हुई हो ध्यान में रखकर हुई हो, उसे जनमत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः यह कसौटी भी ऐसी है जिसके आधार पर जनमत को पहचाना नहीं जा सकता। 'सार्वजनिक हित' शब्दावली अत्यधिक स्पष्ट है। यथार्थ में जनसाधारण अपने–अपने दृष्टिकोण के आधार पर 'सार्वजनिक हित' की कल्पना करते हैं और यह दृष्टिकोण एक बड़ी सीमा तक उनके वर्ग सम्बन्धों से प्रभावित होता है। स्पष्टतः 'सार्वजनिक हित' के सम्बन्ध में एक पूंजीपति की जो कल्पना हैं, वह एक साधारण मजदूर की कल्पना नहीं हो सकती। लॉवेल ने इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि किसी भी समुदाय का एक मत नहीं होता, बहुधा किसी भी प्रश्न पर विभिन्न मत होते हैं।

किसी मत को हम केवल उसी स्थिति में जनमत का नाम दे सकते हैं जबकि उसे बहुसंख्यक लोग स्वीकार कर ले।

3.4.2 उद्देश्य

- जनमत क्या होता है ये समझना
- लोकतन्त्र में जनमत का क्या महत्त्व है
- भारत में जनमत का क्या प्रभाव है
- जनमत निर्माण कैसे होता है

3.4.3 जनमत का महत्व

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में जनमत के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारा युग अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र का युग है। आज के विशालकाय राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र तो सम्भव ही नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र के सफल परिचालन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रतिनिधियों और निर्वाचकों के प्रति बराबर सम्पर्क बना रहे। सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने से पूर्व जनता की इच्छा को जानने का प्रयास करे, जनमत सरकार को इस इच्छा से अवगत कराता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जनमत कभी स्थायी नहीं होता, उसमें आये दिन परिवर्तन होते रहते है। अतः सरकार के लिए उचित और वांछनीय यह है कि वह इस प्रकार के सभी परिवर्तनों की जानकारी रखे। यदि सरकार का आचरण जनमत के प्रतिकूल है तो वह सरकार स्थायी नहीं हो सकती। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में सरकार के लिए लोकमत को उदार करना आवश्यक है।

जनमत सरकार के ऊपर हमेशा एक अंकुश की भाँति काम करता है। उसके भय से स्वार्थी तथा बेईमान राजनीतिज्ञ सरकार को अपने स्वार्थ साधन का यन्त्र नहीं बना सकते। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश में स्वतन्त्र एवं प्रबुद्ध जनमत पाया जायें। लोकतान्त्रिक प्रणाली की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है।

भारत में जनमत

स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए जिन बातों को आवश्यक माना गया है, भारत में वे बातें आमतौर पर अनुपस्थित है। यहाँ की जनता अभी भी निरक्षर है तथा उसकी सार्वजनिक विषयों में कोई अधिक रूचि नहीं है। यहाँ के अधिकांश लोग अपने ही जगत में रहते हैं। देश में नाना प्रकार के धर्म पाये जाते हैं। यहाँ का समाज जाति–बिरादरी और प्रान्तियता की भावना से ग्रसित है। अतः इस स्थिति में सार्वजनिक समस्याओं पर यहां मतैक्य पाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। समाचार पत्र एकाधिकारी पूँजीपतियों के नियन्त्रण में हैं, अतः जनता को सूचना प्रदान करने वाले साधन ईमानदार और निष्पक्ष नहीं है। देश में ऐसे अनेक दल हैं जिनका आधार साम्प्रदायिक है। इन सब बातों का स्वस्थ जनमत के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी पिछले वर्षों में देश की स्थिति तेजी के साथ बदली है। आज देश में पहले की अपेक्षा साक्षरों की संख्या कहीं अधिक है तथा देश के औद्योगिकरण के साथ स्थानीयता और धर्म के बन्धन भी कुछ ढीले हो रहे है। फलतः अनेक समस्याओं के ऊपर जनमत की अभिव्यक्ति बहुत अधिक स्पष्ट रूप से हो सकी है।

भारत में जनमत की रचना में राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा समाचार पत्र का विशेष योगदान रहा है। राजनीतिक दल लोकमत को अपने पक्ष में बनाने के लिए पार्टी के समाचार पत्र निकालते हैं, अपना साहित्य वितरित करते हैं, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करते हैं तथा चुनावों में भाग लेते हैं। दबाव समूह भी चुनाव लड़ने को छोड़कर अन्य सभी उपायों को काम में लाते हैं। जनमत के निर्माण में अराजनीतिक संगठनों तथा व्यक्तियों का भी हमारे देश में एक योगदान रहा है। वस्तुतः राजनीतिक और अराजनीतिक संगठन इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक की भूमिका अदा करते है। उदाहरणार्थ यदि आचार्य विनोबा भावे के भूदान–यज्ञ ने भूमि के असमान वितरण की समस्या की और जनसाधारण और सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित 'भूमि हथियाओं' आन्दोलन ने इस बात को भली भांति व्यक्त कर दिया कि भूमि सुधार की समस्या का समाधान अत्यन्त आवश्यक है।

आधुनिक काल में प्रैस एक शक्तिशाली सामाजिक संस्था का रूप धारण कर चुका है। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित है कि उसे चतुर्थ वर्ग (Fourths Estate) के नाम से गौरवान्वित किया गया है। प्रेस के माध्यम से आधुनिक जीवन की समस्त जटिल प्रतिक्रियाओं को न केवल व्यक्त किया जाता है, अपितु उन्हें एक निश्चित दिशा भी प्रदान की जाती है। उसके माध्यम से थोड़े समय में ही बड़े पैमाने पर विचारों का आदान–प्रदान सम्भव बनाया जा सकता है। उसकी सहायता से विवादों का निराकरण किया जा सकता है, आन्दोलन संगठित किये जा सकते हैं तथा संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। प्रेस के द्वारा शासन के ऊपर लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम किया जा सकता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि देश में जनमत के निर्माण में प्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

3.4.4 निष्कर्ष

जनमत आधुनिक प्रजातांत्रिक देशों में बहुत महत्त्व रखता है। जनमत निर्माण में बहुत सारे साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। यहाँ उपरोक्त उल्लेखित साधनों के अलावा भी अनेक साधन है जो जनमत निर्माण में सहायक है। एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ सकता है। आपसी बातचीत, किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार, किसी दृश्य, कहानी या नाटक व सरकार के किसी कार्य का भी व्यक्तियों के विचारों पर प्रभाव पड़ सकता है। कई बार अफवाह भी जनमत को प्रभावित करने का कार्य करती है। कुल मिलाकर अनेक साधन भारत में जनमत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति करते हैं।

3.4.5 मुख्य शब्दावली

- कोई नहीं

3.4.6 महत्वपूर्ण प्रश्न

1. जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करें।
2. भारत में जनमत का निर्माण कैसे होता है ? विवेचना कीजिए।
3. मीडिया की बढ़ती हुई भूमिका ने भारतीय प्रजातंत्र को एक नई दिशा दी है। इस कथन को समझाइये।

4. भारत में जनमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति के प्रमुख अभिकरणों का वर्णन कीजिए।
5. जनमत का क्या महत्त्व है ?
6. जनमत का अर्थ स्पष्ट करें ?

3.4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डब्ल्यू०एच० मोरिस जोन्स, ''दा गर्वनमैन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', बी०आई० पब्लिकेशन, 1974, दिल्ली
- डी०डी० बसु, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'', पैनटिश हॉल प्रैस, नई दिल्ली, 1994
- ग्रेनविल आस्टिन, ''इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1966
- रजनी कोठारी, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- रजनी कोठारी, ''कॉस्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- वी०पी० मेनन, ''दा ट्रास्फर ऑफ पॉवर इन इण्डिया'', प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रैस, 1957
- जे०आर० सिवाच, ''डायनामिक्श ऑफ इण्डियन गर्वनमेन्ट एण्ड पालिटिक्स'', स्र्टलिंग पविल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1985
- रजनी कोठारी, ''स्टेट एण्ड नेशनल बिल्डिंग'', एलाईड पब्लिशर्स, बाम्बे, 1976
- सी०पी० भाम्भरी, ''दा इण्डियन स्टेट : फिफटी ईयरस'', सिप्रा, नई दिल्ली, 1999
- के०आर० बाम्बवाल, ''दा फॉउडेशन ऑफ इण्डियन फैडरलिज्म'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967

- पी०आर० ब्राश,''पॉलिटिक्श ऑफ इण्डिया सिन्स इन्डिपेडन्श'', II एडिशन, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1994
- एन० चन्द्रहॉक, बियोंड सैक्युरेलिज्य : दा राइट्स ऑफ रिलिजियस माइन्योरटिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 1999
- ए० कौशिक, ''डैमोक्रेटिक कन्शर्न : दा इण्डियन एक्सपिरियस,'' एलैक, जयपुर, 1994
- बी०एल० फडिया, ''स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', वाल्यूम II, रेडियन्ट, नई दिल्ली, 1984
- एस० कविराज, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 1998
- अतुल कोहली, ''डेमोक्रेशी एण्ड डिशकनटैन्ट : इण्डियाज ग्रोईंग क्राईशिश ऑफ गर्वनएबिलिटि'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1991
- अतुल कोहली, एडिशन, ''दा सक्शैश ऑफ इण्डियाज डैमोक्रेशी'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 2001
- रजनी कोठारी, ''पार्टी सिस्टम एण्ड इलैक्शन स्टडीज'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- एम०वी० पायली, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998
- एम०वी० पायली, ''कान्टीट्यूशनल गर्वनमेण्ट इन इण्डिया'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1977
- अब्बास, ''इण्डियन गर्वनमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012
- प्रवीन कुमार झा, ''तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012

3.5 मीडिया (Media)

3.5.1 परिचय

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनमत का बहुत महत्त्व होता है। वर्तमान समय में जनमत निर्माण में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वो मीडिया है। भारतीय लोकतन्त्र में भी इसकी भूमिका को बड़े पैमाने पर देख सकते है। मीडिया और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू, समान और विपरीत पक्ष है और ये एक दूसरे पर निर्भर करते है। मीडिया के पास किसी भी राजनीतिक प्रणाली में अद्वितीय शक्ति है और यह शक्ति अपनी संस्कृति, लोगों और घटनाओं के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत से नियमित रूप से राजनीति में उनके कई कार्यों से उपजी है। मीडिया अपने दर्शको के दृष्टिकोण, राय और बेहतरी के लिए व्यवहार और भावी राष्ट्र बनाने में राजनीति का सबसे शक्तिशाली तना है।

3.5.2 उद्देश्य

- जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन
- भारतीय मीडिया के विभिन्न पक्षों को समझना
- जनहित के मुद्दों के प्रति जनता को मीडिया कैसे जागरूक रखता है
- क्या मीडिया न्यायपालिका को भी प्रभावित करता है

3.5.3 मीडिया का महत्त्व

मीडिया ने पूरी दुनिया में लोकतन्त्र की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया को लोकतान्त्रिक देशों में, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद 'चौथा स्तंभ' माना जाता है, क्योंकि स्वतन्त्र मीडिया ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

मीडिया से ही भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन को बहुत बल मिला जिसकी वजह से लाखों भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो पाये भारतीय लोकतन्त्र में मीडिया की भूमिका आजादी के बाद भी महत्त्वपूर्ण रही है, चाहे वो 1975

की आपातकाल हो या फिर 2014 और 2019 के चुनाव या फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार मीडिया की बढ़ती भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मीडिया की भूमिका को समझने के लिए मुख्य रूप से दो पक्ष हो सकते है

सकारात्मक पक्ष

मीडिया के माध्यम से लोगों को देश की हर गतिविधियों की जानकारी मिलती है। किसी भी देश की जनता का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भिक मीडिया का होना आवश्यक है। मीडिया ही देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। चुनाव एवं अन्य परिस्थितियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जन–साधारण को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी मीडिया को निभानी होती है। विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर मीडिया देश व समाज का भला करता है।

मीडिया की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बार जनमत का निर्माण करने में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत के निर्माण के बाद जनक्रान्ति ही नहीं बल्कि अन्य अनेक प्रकार का परिवर्तन सम्भव है। यहाँ तक की कभी–कभी सरकार को गिराने में और सरकार को बदलने में भी सफल रहते है। इसका उदाहरण हम 2014 के चुनाव से पहले अन्ना हजारे के आन्दोलन में मीडिया की भूमिका से सहज ही ले सकते है।

भारत में मीडिया के द्वारा विभिन्न प्रकरणों जैसे जैसिका लाल हत्याकाण्ड, 2जी स्पैक्ट्रम, बोफोर्स तोप, हवाला कांड, चारा घोटाला, राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला इत्यादि अनेक घोटालों का पर्दाफाश करने में मीडिया की निर्भीकता का ही परिचायक है। मीडिया भारतीय राजनीति की दुष्टता को लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया और समय –समय पर जनता के हितों की रक्षा की और उन्हें जागृत किया है।

नकारात्मक पक्ष

सरकार और सत्तारूढ़ दल की मीडिया पर बढ़ता नियन्त्रण आज किसी से छुपा नहीं है। ये मीडिया का हथकंडा अपनाकर सरकार जनता पर पकड़ बनाने में कामयाब हो जाती है। मीडिया द्वारा अपने तरह का विमर्श गढ़ने और राय की स्वतन्त्रता को

सीमित करने के अलावा लोगों को उनके वास्तविक हितों को पूरा करने वाली जानकारी से वंचित रखा जाता है। मीडिया पर राजनीतिक दलों, सरकार व बड़े–बड़े निगमों का दबाव रहता है और समाज को इनके फायदे के लिए हाशिये पर रख दिया जाता है। मीडिया को इन सबसे युक्त करने के लिए कड़े कानूनों का बनना आवश्यक है। वरना लोगों की राय स्वतन्त्र न होकर मीडिया द्वारा थोपी हुई होगी।

मीडिया के ऊपर स्वामित्त्व का जो दबाव है वो जनता के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। जनता उससे अनभिज्ञ है। ये प्रैस की स्वतन्त्रता पर भी कुठाराघात है। मीडिया और राजनेताओं की किस तरह से सांठ–गांठ है। इसके संबंध में आम जनता को जागृत होना होगा और मीडिया द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर जनता की पैनी नजर रखनी होगी।

प्रिंट से इलैक्ट्रानिक

भारतीय मीडिया ने समाचार पत्र और रेडियों से लेकर टेलीविजन और सोशल मीडिया के वर्तमान युग तक का लंबा सफर तय किया है।

प्रिंट मीडिया

प्रिंट मीडिया में समाचार–पत्र, पत्रिकाएं आदि होती है और प्रिंट मीडिया ही आम लोगों का पहली पसंद बना रहा है और प्रिंट मीडिया की पहुँच भी अधिक लोगों तक है। ये सरल, सुलभ और सस्ता है। प्रिंट मीडिया का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रिंट मीडिया का अतीत तो शानदार रहा ही है लेकिन ये अपना दायित्व वर्तमान में भी बखूबी निभा रहा है।

इलैक्ट्रानिक मीडिया

इलेक्ट्रानिक मीडिया का अर्थ –

1. टेलीविजन : विद्युत माध्यम से संचार होता है। यानि इलैक्ट्रानिक साधनों से जो जनसंचार होता है।
2. रेडियो
3. इंटरनेट
4. यूट्यूब

5. बेब मीडिया

6. सिनेमा

3.5.4 निष्कर्ष

भारत जैसे जीवंत लोकतन्त्र में एक स्वतन्त्र और नियंत्रण मुक्त प्रैस की आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में मीडिया की कार्यशैली में बहुत गिरावट आई है, जिससे भारत की मीडिया को विश्व स्तरीय आलोचना का शिकार होना पड़ा है। भारतीय मीडिया पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो समाचारों में हेराफेरी करना और सूचनाओं को घुमा–फिराकर दिखाता है। ये भारतीय मीडिया के लिए नकारात्मक है। अतः इस छवि को भारतीय मीडिया को सुधारना होगा। ताकि लोगों के बीच में उसकी विश्वसनीयता बनी रहे।

3.5.5 मुख्य शब्दावली

सार्वजनक हित : आम जनता के लाभ का मामला

प्रिंट मीडिया : समाचार पत्र, पत्रिकाएँ इत्यादि जो लोगों तक लिखित रूप में सूचनाएं पहुँचाता है

3.5.6 महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. मीडिया के भारतीय राजनीति पर क्या–क्या प्रभाव है ? नोट लिखे।
2. मीडिया के भारतीय राजनीति पर प्रभाव के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए।
3. मीडिया और भारतीय राजनीति के सम्बन्धों पर नोट लिखिए।
4. भारतीय राजनीति पर मीडिया के बढ़ते प्रभाव का वर्णन कीजिए।

3.5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डब्ल्यू०एच० मोरिस जोन्स, ''दा गर्वनमैन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', बी०आई० पब्लिकेशन, 1974, दिल्ली
- डी०डी० बसु, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'', पैनटिश हॉल प्रैस, नई दिल्ली, 1994
- ग्रेनविल आस्टिन, ''इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1966

- रजनी कोठारी, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- रजनी कोठारी, ''कॉस्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- वी०पी० मेनन, ''दा ट्रास्फर ऑफ पॉवर इन इण्डिया'', प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रैस, 1957
- जे०आर० सिवाच, ''डायनामिक्श ऑफ इण्डियन गर्वनमेन्ट एण्ड पालिटिक्स'', स्र्टलिंग पविल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1985
- रजनी कोठारी, ''स्टेट एण्ड नेशनल बिल्डिंग'', एलाईड पब्लिशर्स, बाम्बे, 1976
- सी०पी० भाम्भरी, ''दा इण्डियन स्टेट : फिफटी ईयरस'', सिप्रा, नई दिल्ली, 1999
- के०आर० बाम्बवाल, ''दा फॉउडेशन ऑफ इण्डियन फैडरलिज्म'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- पी०आर० ब्राश,''पॉलिटिक्श ऑफ इण्डिया सिन्स इन्डिपेडन्श'', II एडिशन, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1994
- एन० चन्द्रहॉक, बियोंड सैक्युरेलिज्य : दा राइट्स ऑफ रिलिजियस माइन्योरटिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 1999
- ए० कौशिक, ''डैमोक्रेटिक कन्शर्न : दा इण्डियन एक्सपिरियस,'' एलैक, जयपुर, 1994
- बी०एल० फडिया, ''स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', वाल्यूम II, रेडियन्ट, नई दिल्ली, 1984
- एस० कविराज, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 1998

- अतुल कोहली, ''डेमोक्रेशी एण्ड डिशकनटैन्ट : इण्डियाज ग्रोईंग क्राईशिश ऑफ गर्वनएबिलिटि'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1991
- अतुल कोहली, एडिशन, ''दा सक्शैश ऑफ इण्डियाज डैमोक्रेशी'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 2001
- रजनी कोठारी, ''पार्टी सिस्टम एण्ड इलैक्शन स्टडीज'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- एम०वी० पायली, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998
- एम०वी० पायली, ''कान्टीट्यूशनल गर्वनमेण्ट इन इण्डिया'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1977
- अब्बास, ''इण्डियन गर्वनमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012
- प्रवीन कुमार झा, ''तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012

3.6 किसान आन्दोलन (Peasants Movement)

3.6.1 परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जनता का 70 प्रतिशत से अधिक भाग गांवों में रहता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारी ग्रामीण कृषि व्यवस्था दो गम्भीर समस्याओं का शिकार थी। एक यह अत्यन्त अविकसित थी। सिंचाई तथा अन्य आवश्यक सुविधायें न के बराबर उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप उपज का स्तर अत्यन्त कम था। दूसरे, कृषि भूमि का बंटवारा अत्याधिक असमान था। थोड़े से जमींनदार तथा बड़े किसान भूमि के बहुत बड़े भाग के मालिक थे। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग भूमिहीन श्रमिकों का था। मध्य नये छोटे स्तर के किसान भी काफी संख्या में थे। परन्तु इनके पास भूमि की मात्रा अधिक नहीं थी। कुल मिलाकर भारत में खाद्यानों की कमी थी, कृषि में लगा एक बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा शोषित था तथा जमींदार और बड़े किसान ऐश्वर्य तथा विलासता में व्यस्त थे।

स्वतन्त्र भारत की सरकार के सामने प्रमुख कार्य कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना तथा इस क्षेत्र में सामन्ती व्यवस्था को परिवर्तित कर न्यायपूर्ण समाज बनाना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई नीतियां बनाई गई। इनमें से एक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास को प्राप्त करने की थी। तो दूसरी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों के द्वारा असमानताओं को कम करने की। व्यवहार में इन नीतियों को जिस प्रकार लागू किया गया इसके परिणाम विरोधाभासी निकले। इनके कारण जहां खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में नये प्रकार के वर्ग सम्बन्ध तथा तनाव भी उत्पन्न हुए है। इन्हीं के कारण आज भारत में व्यापक आन्दोलन विकसित हो रहे है। आमतौर पर इन आन्दोलनों को एक सामान्य किसान आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में यह आन्दोलन दो अलग–अलग प्रकार के हैं।

एक आन्दोलन वह जिनका लक्ष्य शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले कृषि क्षेत्र को महत्व दिलाना तथा कृषि उत्पादकों के हितों की रक्षा है। स्वाभाविक है इसमें बड़े, मध्य स्तरीय और कुछ छोटे किसान की रूचि है। दूसरे आन्दोलन कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों, अत्यन्त छोटे किसानों, बटांईदारों तथा किरायेदारों आदि को न्याय दिलवाने के लिए है।

3.6.2 उद्देश्य

- कृषि विकास क्या महत्त्व है
- कृषक आन्दोलनों के क्या कारण थे
- सरकार द्वारा कृषकों के उत्थान हेतु उठाए गए नीतिगत कदम
- विभिन्न आन्दोलनों के लक्ष्य क्या थे
- क्या कृषकों की दशा में वर्तमान तक सुधार हुए है

3.6.3 विभिन्न किसान आन्दोलन

नियोजन के आरम्भिक वर्षो में कृषि क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। जमींदारी उन्मूलन तथा बाद में भूमि सुधार कानून बनाने के बावजूद कृषि क्षेत्र में सामन्ती व्यवस्था बनी रही। जमींदार तथा बड़े किसान यथास्थिति बनाए रखने में प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी आर्थिक, जातीय तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर राजनीति को प्रभावित कर पाने के प्रयत्न किए। इन दबावों के उपरान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता के कारण सरकार को कुछ न कुछ सुधार करने पड़े। इन सुधारों का एक परिणाम यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों के साथ–साथ एक नया मध्यम वर्ग विकसित होने लगा। जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारों का लाभ भी अधिकतर मध्यम वर्गीय किसानों को हुआ। 1960 के दशक के अन्तिम वर्षो में आरम्भ हरित क्रान्ति ने देश के कुछ भागों में बड़े तथा मध्यम वर्गीय किसानों को और अधिक महत्व तथा लाभ प्रदान किया। कृषि क्षेत्रों में विकास के साथ –साथ लोकतान्त्रिक व्यवस्था के चुनाव प्रक्रिया के सन्दर्भ में ग्रामीण तथा कृषक

राजनीति में रूचि लेने लगे थे। राजनीतिक दल जाति तथा समुदाय के अतिरिक्त कृषकों को व्यवसायिक तथा वर्गीय आधार पर भी सचेत कर रहे थे।

1970 के दशक के प्रारम्भ से अनेक राज्यों में किसानों को अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की स्पष्टता, अपने हितों की रक्षा के लिए चेतना, राजनीति को प्रभावित कर सकने की अपनी शक्ति इत्यादि का एहसास होने लगा। इस परिवेश में किसान वर्ग ने अपने को संगठित करना शुरू किया। इसका आरम्भ राज्य स्तरीय संगठनों तथा आन्दोलनों से हुआ। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी संगठन बनाने के प्रयत्न किये गए। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाण में भारतीय किसान यूनियन तथा महाराष्ट्र में खेतहारी संगठन इत्यादि उग्र तथा महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए।

इन किसान आन्दोलनों के मुख्य लक्ष्य थे –

1. कृषि उत्पादनों के लिए अधिक मूल्य
2. कृषि के लिए आवश्यक बिजली, पानी, खाद, डीजल, ट्रैक्टर इत्यादि सरकारी सहायता से सस्ते दामों पर उपलब्ध हो।
3. बैंकों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा कम ब्याज तथा आसान शर्तों पर ऋण
4. भूमि सुधारों का विरोध
5. कृषि पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन इत्यादि निर्धारित करने के निर्णयों को प्रभावित करना।
6. नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीण तथा कृषि विकास को अधिक महत्व दिलाना।
7. कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में असन्तुलन को दूर करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को प्राप्त करवाना।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े तथा मध्यम वर्गीय किसानों ने गैर–राजनीतिक संगठन बना कर आन्दोलनों, बैठकों, जलूसों तथा दबाव समूहों के रूप में कार्य कर सरकार पर दबाव डालने के रास्ते के साथ–साथ राजनीतिक दलों को अपने समर्थन के आधार पर लेन–देन की रणनीति भी अपनाई है। यह संगठन अपनी मांगों को वर्गीय आधार पर प्रस्तुत न कर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि यह सम्पूर्ण ग्रामीण तथा कृषक समाज की है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या तथा बड़े किसानों के

प्रभाव के संदर्भ में राजनीतिक दल इनकी अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए पिछले लगभग दो दशक से यह आन्दोलन काफी सफल हुए है। वास्तव में यह किसान राजनीति को ही प्रभावित करने में सफल होने लगे हैं। लगभगसभी राजनीतिक दल चुनावों में किसान वर्ग के प्रतिनिधियों को टिकट देने लगे है। लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व काफी तेजी से बढ़ा है। विशेष रूप से उन राज्यों में जहां कृषि क्षेत्र अधिक विकसित है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश इत्यादि राजनीति में किसानों की भूमिका लगभग निर्णायक हो गई है। कुल मिलाकर इस प्रकार किसान आन्दोलन आज भारतीय राजनीति में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रशासन, राजनीतिक दलों तथा विद्यायिका सभी स्तरों पर निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे है।

खेतीहर मजदूरों के आन्दोलन

भारत के कृषि के क्षेत्र में अनेक विडम्बनायें है। जहां यह एक कृषि प्रधान देश है वहीं भारत के अनेक भागों में आज भी कृषि अत्यन्त, परम्परागत तरीकों से होती है। भूमिका बंटवारा अत्याधिक असमानता पूर्ण है। जिन राज्यों में हरित क्रान्ति की सफलता से कृषि का विकास हुआ है वहां भी भूमि का बंटवारा अत्यन्त असमानता पूर्ण है। परन्तु इन राज्यों में भूमिहीन किसानों की स्थिति अविकसित राज्यों की तुलना में भिन्न है। अलग विकसित तथा पिछड़े राज्यों में भूमिहीन किसानों को पूरा काम ही नहीं मिलता। वह साल में कई दिन बेकार रहते है। काम की कमी के कारण वह भूमि के मालिकों पर पूरी तरह आश्रित है। अतः इन राज्यों में सामन्तशाही, बन्धुआ मजदूरी और बेरोजगारी की समस्याऐं गम्भीर है। विकसित राज्यों में श्रमिकों को काम तो मिलता है परन्तु इन राज्यों में श्रमिकों को उचित वेतन तथा भूमि के बंटवारे की समस्यायें है।

लोकतन्त्र की स्थापना तथा नियोजन में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारों के वायदों ने आरम्भ से ही भूमिहीन तथा छोटे किसानों की आकांक्षाओं को जागृत करना शुरू कर दिया था। अनेक राजनीतिक दल विशेष रूप से साम्यवादी तथा वामपन्थी दल अपनी विचार धाराओं तथा चुनावी समर्थन के आधार पर श्रमिकों तथा छोटे किसानों को संगठित करते रहे है। शासक दलों पर बड़े किसानों का नियन्त्रण कायम

रहने, नियोजन में कृषि विकास के असन्तुलित रहने तथा भूमि सुधारों की व्यापक विफलता से भूमिहीन किसानों में काफी असन्तोष है। मूल्य वृद्धि, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की असफलता तथा बढ़ती बेरोजगारी से यह असन्तोष और बढ़ रहा है। लोकतन्त्र द्वारा प्राप्त अधिकारों तथा विचारधारा आधारित दलों द्वारा संगठित किए जाने के प्रयत्नों ने खेतीहर मजदूरों में व्यापक आन्दोलनों को उदित किया है। यह आन्दोलन अनेक राज्यों में काफी उग्र रूप धारण कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों में क्रान्तिकारी दल जैसे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) इन आन्दोलनों को हिंसक तथा क्रान्तिमय रूप भी प्रदान कर रहे है।

भूमिहीन किसानों के मुख्य लक्ष्य है – उचित रोजगार के अवसर, मजदूरी की न्यूनतम दरे, भूमि सुधार, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता इत्यादि। शासक दलों पर बड़े किसानों के नियन्त्रण, प्रशासन में इनके प्रभाव तथा नीति निर्धारण में उनकी सुनवाई के कारण भूमिहीन किसानों के आन्दोलन अभी बहुत अधिक सफल नहीं हुए है। परन्तु इनकी भूमिका बढ़ रही है। इन आन्दोलनों के कारण अनेक राज्यों में दलित तथा शोषित जन अब जमींदारों तथा भूमिपतियों की इच्छा के विरूद्ध अपनी इच्छा से मतदान करने लगे है। इसके प्रतिरोध में कुछ क्षेत्रों में उच्च जातीय तथा बड़े किसान वर्ग दलितों तथा छोटे किसानों के विरूद्ध हिंसा का प्रयोग करने लगे है। अतः भूमिहीन किसानों के आन्दोलन एक और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतान्त्रिक जागृति, समानता के लिए संघर्ष तथा सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं वहीं दूसरी ओर राज्य की प्रकृति, प्रशासनिक सेवाओं के उच्च वर्गीय स्वरूप तथा शासन की निष्क्रियता के कारण इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा बढ़ रही है। परन्तु इन आन्दोलन को दबाया नहीं जा सकता। समय के साथ–साथ इनकी भूमिका तथा इनके आकार में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

3.6.4 निष्कर्ष

भारत में किसान आन्दोलन एक सशक्त ताकत के रूप में उभरे हैं और इन्होंने किसानों की दशा सुधारने का कार्य भी किया है। इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप किसानों में राजनैतिक जागृति आई है और उन्होंने संसद तथा राज्य विधानसभाओं में

अपने प्रतिनिधि भेजने का प्रयास भी किया है। इसके परिणामस्वरूप सरकार इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने लगी है। सरकार ने कृषि उपज के मूल्यों में लगातार वृद्धि की है और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की हैं, किन्तु इन सभी योजनाओं का लाभ बड़े किसानों को ही पहुँचा है, जिससे मजदूरों तथा छोटे किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। फिर भी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आमतौर पर किसान आंदोलनों में समूचे किसान वर्ग की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में पहले से सुधार हुआ है।

3.6.5 मुख्य शब्दावली

- नियोजन : सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करना।
- भूमिहीन किसान : जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। लेकिन वे दूसरे किसानों के यहाँ कृषि कार्य करते है।
- लोकतान्त्रिक जागृति : किसानों के द्वारा अपने हितों को पूरा करने के लिए संसद और विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजना।

3.6.6 महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. किसान आन्दोलनों से आपका क्या अभिप्राय है ? भारत में चलाए गए किसान आन्दोलनों का संक्षिप्त वर्णन करे।
2. विभिन्न खेतिहर आन्दोलनों पर प्रकाश डालिए।
3. भारतीय राजनीति पर किसान आन्दोलनों का क्या प्रभाव रहा है ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए।
4. भारत में किसान आन्दोलन के पीछे कौन से कारण रहे है।
5. तिभागा आन्दोलन पर संक्षिप्त नोट लिखे।

3.6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डब्ल्यू०एच० मोरिस जोन्स, ''दा गर्वनमैन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', बी०आई० पब्लिकेशन, 1974, दिल्ली

- डी०डी० बसु, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'', पैनटिश हॉल प्रैस, नई दिल्ली, 1994
- ग्रेनविल आस्टिन, ''इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1966
- रजनी कोठारी, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- रजनी कोठारी, ''कॉस्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरियण्ट लान्गमैन प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1970
- वी०पी० मेनन, ''दा ट्रास्फर ऑफ पॉवर इन इण्डिया'', प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रैस, 1957
- जे०आर० सिवाच, ''डायनामिक्श ऑफ इण्डियन गर्वनमेन्ट एण्ड पालिटिक्स'', स्र्टलिंग पविल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1985
- रजनी कोठारी, ''स्टेट एण्ड नेशनल बिल्डिंग'', एलाईड पब्लिशर्स, बाम्बे, 1976
- सी०पी० भाम्भरी, ''दा इण्डियन स्टेट : फिफटी ईयरस'', सिप्रा, नई दिल्ली, 1999
- के०आर० बाम्बवाल, ''दा फॉउडेशन ऑफ इण्डियन फैडरलिज्म'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- पी०आर० ब्राश,''पॉलिटिक्श ऑफ इण्डिया सिन्स इन्डिपेडन्श'', II एडिशन, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1994
- एन० चन्द्रहॉक, बियोंड सैक्युरेलिज्य : दा राइट्स ऑफ रिलिजियस माइन्योरटिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 1999
- ए० कौशिक, ''डैमोक्रेटिक कन्शर्न : दा इण्डियन एक्सपिरियस,'' एलैक, जयपुर, 1994
- बी०एल० फडिया, ''स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', वाल्यूम II, रेडियन्ट, नई दिल्ली, 1984

- एस० कविराज, ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 1998
- अतुल कोहली, ''डेमोक्रेशी एण्ड डिशकनटैन्ट : इण्डियाज ग्रोईंग क्राईशिश ऑफ गर्वनएबिलिटि'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 1991
- अतुल कोहली, एडिशन, ''दा सक्शैश ऑफ इण्डियाज डैमोक्रेशी'', कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज, 2001
- रजनी कोठारी, ''पार्टी सिस्टम एण्ड इलैक्शन स्टडीज'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1967
- एम०वी० पायली, ''एन इन्ट्रोडक्शन टू दा कान्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1998
- एम०वी० पायली, ''कान्टीट्यूशनल गर्वनमेण्ट इन इण्डिया'', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1977
- अब्बास, ''इण्डियन गर्वनमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012
- प्रवीन कुमार झा, ''तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति'', पिर्यसन, नई दिल्ली, 2012